स्थापना : 1997 - संपर्क : 09869256875

प्रत्येक महीने की 1ली और 16वीं तारीख एवं दिन को प्रकाशित

• Website : www.railsamachar.com
• Website : www.railsamacharenglish.com
• Email : railwaysamachar@gmail.com

परिपूर्ण रेलवे समाचार

रेलवे का दोस्त, यात्रियों का साथी

■ वर्ष -15 ■ अंक - 362 ■ कल्याण (मुंबई), ■ 1 से 15 जून 2017 ■ पेज - 8 ■ मूल्य 5 रु.

सबको अपने सामने चाहिए जीएम और डीआरएम

सुरेश त्रिपाठी

भारतीय जनता पार्टी की मुगलसराय की महिला विधायक साधना सिंह और उनके जिलाध्यक्ष राणाप्रताप सिंह के साथ गरमागरम बहस का एक वीडियो 4 जून को सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ. संभवतः साफ-सफाई का निरीक्षण करने मुगलसराय रेलवे स्टेशन पहुंची भाजपा की महिला विधायक साधना सिंह को निरीक्षण के दौरान अपने सामने मंडल रेल प्रबंधक ही चाहिए थे. उन्हें अन्य अधिकारियों की दरकार नहीं थी. उनके साथ इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं सहित जिलाध्यक्ष राणाप्रताप सिंह भी मौजूद थे.

वीडियो से स्पष्ट है और जैसा कि मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) किशोर कुमार को कहते हुए भी सुना जा सकता है कि उन्होंने अपने सभी संबंधित शाखा अधिकारियों को उनके स्वागत और इंतजाम के लिए भेज दिया था. मगर विधायक साधना सिंह एकदम गुस्से से उबलते हुए वीडियो में कहते सुनाई दे रही हैं कि 'अधिकारियों को भेज दिया था, तो क्या हुआ, आप क्यों नहीं आए, हम यहां आपका दो घंटे से इंतजार कर रही हैं.' इस पर विधायक महोदया को शांति के साथ बात करने के लिए कहते हुए डीआरएम किशोर कुमार ने उन्हें समझाने का प्रयास किया और कहा कि मैडम, बताएं क्या समस्या है?

इस पर विधायक साधना सिंह गुस्से में उबलते हुए पुनः कहने लगीं कि 'मुझे आपके अधिकारियों से नहीं आपसे बात करनी है.' वह कहते हुए भी सुनाई दे रही हैं कि 'पूरे देश में हम झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, इसका मतलब यह है शेष पेज 4 पर...

आर. के. कुशवाहा बनाम भारत सरकार (रेल मंत्रालय)

पटना हाई कोर्ट का पदोन्नति घोटाले पर ऐतिहासिक निर्णय

- रेलवे बोर्ड को मानने होंगे सुप्रीम कोर्ट और डीओपीटी के सभी दिशा-निर्देश
- रेलवे को करना होगा डीओपीटी के ओएम दि. 4.3.14 का अक्षरशः पालन
- नए नियम लागू होने पर ग्रुप 'ए' की इंटर-से-सीनियरटी में होगी भारी उलटफेर
- बदले नियम से 10-12 साल पीछे खिसक सकती है प्रमोटी अधिकारियों की वरीयता
- एन.आर.परमार मामले में आदेश के खिलाफ इरपोफ की सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी
- डीआईटीएस के आधार पर दी जानेवाली इंटर-से-सीनियरटी को कोर्ट ने माना त्रुटिपूर्ण
- आईआरईएम को वैधानिक बताने वाले बोर्ड/इरपोफ के हलफनामों को कोर्ट ने किया खारिज

सुरेश त्रिपाठी

पटना हाई कोर्ट ने 12 मई 2017 को दिए गए अपने चिर-प्रतीक्षित ऐतिहासिक निर्णय में न सिर्फ कैट के निर्णय को वाजिब ठहराते हुए उसे मान्य किया, बल्कि चेयरमैन, रेलवे बोर्ड (सीआरबी) और इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन (इरपोफ) द्वारा आईआरईएम को 'वैधानिक' बताते हुए दिए गए हलफनामों को भी नामंजूर कर दिया. हाई कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय से एक बार फिर से यह भी सही साबित हो गया है कि 'रेलवे समाचार' ने अब तक पांच किस्तों में इससे संबंधित जो लेख प्रकाशित किए थे, वह सब न सिर्फ सही थे, बल्कि कुछ स्व-घोषित विद्वान पूर्व प्रमोटी अधिकारियों और पूर्व पदाधिकारियों द्वारा अब तक प्रमोटी अधिकारियों को बहुत बुरी तरह से गुमराह किया जा रहा था. हालांकि पटना हाई कोर्ट के उपरोक्त निर्णय को शेष पेज 7 पर...

भारतीय रेल में खूब धड़ल्ले से चल रहा 'कंसल्टेंसी' का खेल

- 28 करोड़ रुपए में 'मैकेंजी' को दी गई रेलवे यूनिवर्सिटी की कंसल्टेंसी?
- वी.के.गुप्ता द्वारा बनाए गए नेशनल रेल डेवलपमेंट प्लान को पुनरीक्षा हेतु राइट्स को सौंपा

नई दिल्ली : भारतीय रेल में पिछले तीन साल से 'कंसल्टेंसी' का खेल खूब जोरों से चल रहा है और इस बहाने रेल राजस्व से करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे हैं. इससे पहले यह खेल तमाम तरह की कमेटियां बनाकर खूब खेला गया था. तब भी रेलवे राजस्व की बहुत बंदरबांट हुई थी. जहां उक्त कमेटियों द्वारा दी गई तमाम रिपोर्टें रेलवे बोर्ड की अलमारियों में पड़ी धूल फांक रही हैं, वहीं ठीक उसी प्रकार इन कथित फर्जी कंसल्टेंसियों की रिपोर्टों का भी वही हाल हो रहा है. मगर इस जरिए एमआर सेल में बैठे कुछ सलाहकारों और रेलवे बोर्ड के कुछ अधिकारियों की चांदी हो रही है. जबकि रेल मंत्रालय का वर्तमान 'निजाम' सब कुछ जानते हुए भी अंजान बन रहा है.

रेलवे बोर्ड के विश्वसनीय सूत्रों से 'रेलवे समाचार' को मिली भरोसेमंद जानकारी के अनुसार रेलमंत्री के तथाकथित ड्रीम प्रोजेक्ट 'रेलवे यूनिवर्सिटी' के लिए 'कंसल्टेंसी' का कार्य रेलवे पीएसयू राइट्स लि. को सौंपा गया है. 'रेलवे समाचार' के इन विश्वसनीय सूत्रों का यह भी कहना है कि इसके साथ ही राइट्स को रेलवे बोर्ड की तरफ से यह 'आदेश' भी दिया गया है कि उक्त कंसल्टेंसी का काम एक निजी कंसल्टेंसी फर्म 'मैकेंजी' को दे दिया जाए. सूत्रों का कहना है कि इस आदेश के पीछे दबाव एमआर सेल से डाला जा रहा है. सूत्रों का कहना है कि इस तथाकथित कंसल्टेंसी की लागत 28 करोड़ रुपए है.

यह तो सर्वज्ञात है कि एमआर सेल में बतौर ओएसडी/एमआर बैठे हनीश यादव उक्त निजी कंसल्टेंसी फर्म 'मैकेंजी' से ही आए हैं. और यह भी सर्वज्ञात है कि हनीश यादव की एमआर सेल में घुसपैठ शेष पेज 7 पर...

अदालती आदेशों की अवहेलना

सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया (एसजी) और कैबिनेट सेक्रेटरी (सीएस) की हिदायत के बावजूद रेलवे बोर्ड अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहा है. पटना हाई कोर्ट द्वारा अवैध घोषित की गई सीनियरिटी लिस्ट में से एक प्रमोटी अधिकारी को पश्चिम रेलवे ने सेवानिवृत्ति से मात्र दो दिन पहले जेएजी में प्रमोशन दे दिया. अदालतों के निर्णय को दरकिनार करते हुए रेलवे बोर्ड के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आरबीएसएस और ग्रुप 'बी' अधिकारियों के अवैध घोषित हो चुके स्थाई जेएजी पैनल को जल्दी-जल्दी क्लियर करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है. कतिपय अधिकारियों के दबाव के चलते रेलवे बोर्ड द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर गठित पांच सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है. अदालतों के निर्णय और ज्ञापनों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने से युवा ग्रुप 'ए' अधिकारियों में भारी असंतोष व्याप्त हो रहा है. इसके चलते पदोन्नति घोटाले पर 100 से अधिक युवा ग्रुप 'ए' अधिकारियों द्वारा ज्ञापन देकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा गया है.

एसजी के दि. 3 मार्च 2017 के पत्र (सं. एसजी/03/जनरल'2017/12) और सीएस के दि. 11 मई 2017 के डी. ओ. (सं. 403/1/5/2016/सीए.वी.) के माध्यम से चेयरमैन, रेलवे बोर्ड को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि 'अदालतों के निर्णयों का निर्धारित समय के अंदर अनुपालन करते हुए संबंधित अदालत को बता दिया जाए.' पत्र में स्पष्ट रुप से कहा गया है कि 'रेलवे में मौजूद कानून विभाग प्रतिदिन हाई कोर्टों और विभिन्न अदालतों की वेबसाइट पर जाकर रेलवे से संबंधित सभी मामलों पर दिए गए निर्णयों का अनुपालन किया जाए.' इन उच्च स्तरीय निर्देशों को रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलों के महाप्रबंधकों को 24 मई 2017 को पत्र (सं. 2017/एलसी/मिस्लेनियस/10) लिखकर फैक्स, ईमेल और शेष पेज 4 पर...

मंत्रियों के कार्यालय से इमर्जेंसी कोटे की हो रही धांधली

नई दिल्ली : रेलवे बोर्ड स्थित रेलमंत्री एवं रेल राज्यमंत्रियों के कार्यालयों से लगभग सभी जोनल मुख्यालयों को इमर्जेंसी कोटा भेजा जाता है. यह पहले भी भेजा जाता रहा है और साल भर भेजा जाता रहता है मगर गर्मी और छुट्टियों के सीजन में तो इसकी बाढ़ ही आ जाती है. परंतु पिछले लगभग तीन सालों में जिस कदर इसकी बाढ़ आई है, वैसी शायद कभी नहीं आई थी. वर्तमान में इस इमर्जेंसी कोटे की स्थिति यह है कि रेलवे बोर्ड और रेलमंत्रियों के कार्यालयों से इमर्जेंसी कोटे की इतनी भरमार होती है कि इसके कारण जीएम सहित जोनल एवं मंडल मुख्यालयों के विभाग प्रमुखों तक को यह कोटा नहीं मिल पा रहा है.

हमारे गोरखपुर ब्यूरो प्रमुख से प्राप्त जानकारी के अनुसार हाल ही में पूर्वोत्तर रेलवे के कार्यकारी महाप्रबंधक को जब यह कोटा नहीं मिला, तो दूसरे दिन उन्होंने सीसीएम का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे सीओएम को तलब कर लिया. सीओएम ने जब उन्हें बताया कि रेलवे बोर्ड और रेल राज्यमंत्री के कार्यालय से इमर्जेंसी कोटे की इतनी ज्यादा मांग होती है कि बाकी किसी के लिए भी यह कोटा नहीं बच पाता है. जानकारों का कहना है कि यह बात सही है कि रेल राज्यमंत्री मनोज सिंह के कार्यभार संभालने के बाद से पूर्वोत्तर रेलवे सहित उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे से किसी अन्य को इमर्जेंसी कोटा नहीं मिल पा रहा है.

रेलवे बोर्ड के विश्वसनीय सूत्रों ने 'रेलवे समाचार' को बताया कि रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा एवं रेलमंत्री सुरेश प्रभु के कार्यालय से लगभग सभी जोनल मुख्यालयों को थोक में इमर्जेंसी कोटा भेजा जा रहा है, जिसमें बोर्ड के कुछ अधिकारी भी अपना हाथ साफ कर रहे हैं. इसके अलावा जोनल मुख्यालयों के भी कुछ दलाल टाइप के अधिकारी मंत्री के नाम पर इससे भारी लाभ कमा रहे हैं. सूत्रों का यह भी कहना है कि इमर्जेंसी कोटे को बेचे जाने का यह कारोबार पूरी भारतीय रेल में अब करोड़ों रुपए में हो रहा है. जबकि महाप्रबंधक सहित विभाग प्रमुखों जैसे उच्च रेल अधिकारियों तक को भी यह कोटा नहीं मिल पा रहा है. सूत्रों का कहना है कि कई बार मंत्रियों के कार्यालय से जोनों में कोटा आवंटित करने वाले अधिकारियों को सीधे कॉल करके उन्हें दबाव में लेकर मनमानी बर्थें आवंटित करवाई जाती हैं. उनका कहना है कि फिलहाल ऐसे सभी अधिकारी भारी दबाव और तनाव में काम कर रहे हैं.

- जीएम, सीसीएम और अन्य जोनल विभाग प्रमुखों को नहीं मिल पा रहा कोटा
- रेलमंत्री एवं रेल राज्यमंत्री कार्यालय से कोटा बेचे जाने का लग रहा है आरोप
- मंत्रियों की आड़ में जोनों के कुछ दलाल टाइप अधिकारी भी हाथ कर रहे साफ

गत वर्ष दक्षिण रेलवे में यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि वहां यूनियन के एक पदाधिकारी द्वारा यह इमर्जेंसी कोटा स्थानीय नेताओं, पुलिस अधिकारियों सहित अन्य तमाम लोगों को बेचा जा रहा था और यूनियन ही वास्तव में इसका आवंटन कर रही थी. इस पर लगाम लगाए जाने से एक साल में करीब 6500 से भी ज्यादा बर्थें जरूरतमंद यात्रियों को उपलब्ध कराई गईं. रेलवे बोर्ड सहित सभी जोनल रेलों को भी दक्षिण रेलवे में अपनाया गया वही फार्मुला अपनाना चाहिए. इससे न सिर्फ जरूरतमंद यात्रियों को, बल्कि रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी इमर्जेंसी कोटा आसानी से उपलब्ध हो सकेगा. तथापि, सूत्रों का यह भी कहना है कि मंत्रियों के कार्यालयों में कार्यरत स्टाफ और उनकी आड़ में इसका भरपूर लाभ उठा रहे लोगों पर लगाम लग पाना तब तक बहुत मुश्किल है, जब तक कि मंत्रीगण खुद इस धांधली का संज्ञान नहीं लेते हैं.

मौज से ड्यूटी कर रहे सीबीआई कोर्ट से सजा पाए RPF अधिकारी बी.आर.मीना

गुवाहाटी : रेल मंत्रालय के वर्तमान 'निजाम' के मातहत जहां पिछले एक साल में रेलवे में 11000 से अधिक भ्रष्टाचार के मामले सीवीसी में दर्ज हुए और केंद्र सरकार के अन्य विभागों की अपेक्षा भारतीय रेल भ्रष्टाचार के मामले में सर्वोपरि रही, वहीं इस दाग से पीछा छुड़ाने के लिए रेल मंत्रालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विभिन्न अदालतों से सजा पाए, मगर अपील में अंडर ट्रायल चल रहे, कुछ रेल अधिकारियों को यह कहकर बर्खास्त कर दिया कि जब वह अपीलेट कोर्ट से निर्दोष साबित होंगे, तब उचित निर्णय लिया जाएगा. परंतु आरपीएफ अधिकारी बी. आर. मीना के विरुद्ध रेल प्रशासन ने अब तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है, जिन्हें कुल 6 मामलों में सीबीआई अदालत ने कुल 10 साल की कड़ी सजा दी है और पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया है.

भरत राज मीना उर्फ बी. आर. मीना आरपीएफ के एक ऐसे महाभ्रष्ट अधिकारी हैं, जिन्हें सीबीआई की विशेष अदालत ने कुल 6 मामलों में न सिर्फ दोषी पाया है, बल्कि प्रत्येक मामले में उन्हें दो-दो साल की सजा सुनाते हुए एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, मगर भरत राज मीना पर रेल प्रशासन की तरफ से अब तक बर्खास्तगी की कोई कार्रवाई नहीं की गई है और वह अब तक मौज से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं. ज्ञातव्य है कि भरत राज मीना को तब सीबीआई ने विभिन्न मामलों में रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा था, जब वह दक्षिण रेलवे, पालघाट मंडल में मंडल सुरक्षा आयुक्त (डीएससी) के पद पर नियुक्त थे.

प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व डीएससी/पालघाट मंडल और वर्तमान में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, गुवाहाटी के उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त (डिप्टी सीएससी) के पद पर कार्यरत बी. आर. मीना को कोचीन (कोच्चि) स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 31 मई 2016 को दिए गए निर्णय में प्रत्येक 6 मामलों में रिश्वत लेने के लिए दो-दो साल (दो मामलों में तीन साल) की कड़ी सजा बामसक्कत (रिगोरस इमप्रिजनमेंट) दी है और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. जो इस प्रकार है-

1. क्राइम सं. 19(ए)/2005, सीसी नं. 3/14 के तहत रिश्वत लेने हेतु बी. आर. मीना दोषी साबित हुए.
2. क्राइम सं..19(ए)/2005, सीसी नं. 2/14 के तहत रिश्वत लेने के लिए बी. आर. मीना को दो साल की कड़ी कैद बामसक्कत और एक लाख जुर्माना.
3. क्राइम सं. 19(ए)/2005, सीसी नं. 4/14 के तहत तीन लोगों से 25-25 हजार रुपए की रिश्वत लेने के लिए बी. आर. मीना को तीन साल की कड़ी सजा बामसक्कत और एक लाख रुपए का दंड.
4. सृमे सं. 19(ए)/2005, सीसी नं. 2/15 के अंतर्गत तीन लोगों से 25-25 हजार रुपए की रिश्वत लेने हेतु बी. आर. मीना को तीन साल की कड़ी कैद

बामसक्कत और एक लाख रुपए का जुर्माना.

5. क्राइम सं. 19(ए)/2005, सीसी नं. 3/15 के तहत दो लोगों से 25-25 हजार रुपए की रिश्वत लेने हेतु बी. आर. मीना को दो साल की कड़ी कैद बामसक्कत और एक लाख रुपए का जुर्माना.
6. क्राइम सं. 19(ए)/2005, सीसी नं. 4/15 के तहत दो लोगों से 25-25 हजार रुपए की रिश्वत लेने हेतु बी. आर. मीना को दो साल की कड़ी कैद बामसक्कत और एक लाख रुपए का जुर्माना.

'रेलवे समाचार' द्वारा जुटाई गई जानकारी के अनुसार उपरोक्त सभी सजाएं सुनाए जाने के तत्काल बाद अदालत ने बी. आर. मीना को जमानत मंजूर करते हुए उनकी उक्त सभी सजाएं एक महीने के लिए मुल्तवी करके उन्हें केरल हाई कोर्ट में एक महीने के अंदर अपील दायर करने की मोहलत दी थी. अदालत द्वारा दी गई यह एक महीने की मोहलत 11 महीने पहले ही बीत चुकी है. परंतु इस संबंध में रेल प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि रेल प्रशासन का कोई अधिकारी इस मामले में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है. जबकि बी. आर. मीना से तमाम कोशिशों के बावजूद संपर्क नहीं किया जा सका.

प्राप्त जानकारी के अनुसार हाल ही में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मुख्यालय, गुवाहाटी में डिप्टी सीएससी के पद पर पदस्थ बी. आर. मीना द्वारा एक महिला कर्मचारी के साथ की गई बदसलूकी के विरोध में मुख्यालय में कार्यरत सैकड़ों रेल कर्मचारियों एवं महिलाओं ने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर) से संलग्न जोनल संगठन के नेतृत्व में बी. आर. मीना के कार्यालय के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया. आरपीएफ के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच-बचाव के बाद संगठन ने अपना यह विरोध प्रदर्शन समाप्त किया था.

उल्लेखनीय है कि हाल ही में रेल प्रशासन (रेलवे बोर्ड) ने पूर्व तट रेलवे में कार्यरत उप मुख्य अभियंता (डिप्टी सीई) पी. के. जेना (आईआरएसई) और वैभव चौहान (आईआरपीएस) तथा डॉ. रवि कंसल (आईआरएमएस) एवं डॉ. एन. सुरेश (आईआरएमएस) को उनकी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया है. पी. के. जेना को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई कोर्ट ने दोषी पाया था. जबकि वैभव चौहान को अदालत ने पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर मंडल में बतौर सीनियर डीपीओ एक बंगला प्यून को स्थाई करने की एवज में 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए सीबीआई द्वारा रंगेहाथ पकडे जाने और इसके लिए दो लाख रुपए मांगे जाने का दोषी पाया था. इसी प्रकार लखनऊ में एसीएमएस रहते हुए डॉ. रवि कंसल और दक्षिण पश्चिम रेलवे के डॉ. एन. सुरेश को रेल कर्मचारियों को फर्जी सिक सर्टिफिकेट जारी करने के लिए एक-एक हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए सीबीआई द्वारा रंगेहाथ पकडे जाने का दोषी पाया गया था. इन सभी अधिकारियों के मामले विभिन्न अदालतों में अपील के तहत विचाराधीन हैं. जानकारों का मानना है कि उपरोक्त अधिकारियों के गुनाह से भी बहुत ज्यादा गंभीर गुनाह आरपीएफ अधिकारी बी. आर. मीना पर साबित हुए हैं. यही नहीं, उन्हें 6 मामलों में कुल 12 साल की कड़ी कैद बामसक्कत की सजा के साथ ही उन पर कुल पांच लाख रुपए का दंड भी लगाया गया है. इसके बावजूद रेल प्रशासन (रेलवे बोर्ड) एक साल बाद भी उनके मामले में मौन है और उनके खिलाफ उपरोक्त अधिकारियों की ही तरह बर्खास्तगी की कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है. जानकारों का कहना है कि बी. आर. मीना तो घोषित तौर पर भ्रष्ट साबित हुए हैं और इनके खिलाफ तुरंत बर्खास्तगी की कार्रवाई होने चाहिए थी, जबकि रेल प्रशासन 'पिक एंड चूज' जैसा काम करते हुए दिखाई दे रहा है. उनका कहना है कि बी. आर. मीना को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, जिससे आरपीएफ के अन्य भ्रष्ट अधिकारियों को इसका सबक मिलेगा और वह भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे.

राइट्स लि. की आय में 18% की रिकॉर्ड वृद्धि

नई दिल्ली : भारतीय रेल के उपक्रम राइट्स लि. की आय में वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 में 18% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई है. राइट्स ने पहली बार 1500 करोड़ के बेंचमार्क को पार किया है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंपे गए इसके प्रोविजनल रिजल्ट्स के अनुसार घरेलू और विदेशी कंसल्टेंसी कंपनियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद राइट्स लि. ने गत वर्ष कुल 1508 करोड़ रुपए के टर्नओवर पर करीब 330 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड पीएटी प्राप्त किया है. गत वर्ष कंपनी ने दो बोनस इशू भी जारी किए थे, जिससे इसकी कुल पेड-अप कैपिटल 100 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ हो गई है. गत वर्ष राइट्स लि. ने बांग्लादेश रेलवे को 120 कोचों की आपूर्ति पूरी की है. इसके साथ ही भारतीय रेल (डीएलडब्ल्यू, वाराणसी) द्वारा उत्पादित लोकोमोटिव एवं आईसीएफ, चेन्नई द्वारा निर्मित डीएमयू ट्रेनसेट की श्रीलंका रेलवे को आपूर्ति किए जाने के दो कांट्रेक्ट भी हासिल किए हैं, जिनकी आपूर्ति आने वाले वर्षों में राइट्स द्वारा की जाएगी. घरेलू स्तर पर भी राइट्स लि. कई बड़े ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स, जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मेट्रो, हाई स्पीड रेल स्टडी, लॉजिस्टिक पार्क, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं एनर्जी इत्यादि के क्षेत्रों में कार्यरत है.

रेलवे सहित अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में निवेश के वर्तमान सकारात्मक माहौल में राइट्स द्वारा आने वाले वर्षों के दौरान पर्याप्त उच्च विकास दर हासिल करने की उम्मीद है. फिलहाल राइट्स द्वारा दो बड़े टर्नकी प्रोजेक्ट्स, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल के पेंड्रा रोड-अनूपपुर सेक्शन और दक्षिण मध्य रेलवे के गूटी-धर्मावरम सेक्शन के दोहरीकरण कार्य को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है.

अहमदाबाद मंडल की स्थापना से अब तक लागू नहीं कर्मचारियों का पोस्ट बेस्ड रोस्टर

अहमदाबाद : पश्चिम रेलवे का अहमदाबाद मंडल 1 अप्रैल 2003 को वजूद में आया था. इसमें राजकोट, अजमेर, वड़ोदरा मंडलों के कर्मचारियों का समावेश किया गया था. उस समय एक वर्ग विशेष के कुछ घाघ लोगों ने अपनी कुटिलता की जो बिसात बिछाई थी, वह आज तक अमर बेल की तरह फल-फूल रही है. अहमदाबाद मंडल में पूर्व मंडलों के कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु पोस्ट बेस्ड रोस्टर को छुपाया गया तथा टिकट जांच सहित अन्य कैडर के आरक्षित श्रेणी के रेल कर्मचारियों को सामान्य श्रेणी में मानते हुए वरीयता सूची में ऊपर रखकर उनका आरक्षित कोटा खाली रखा गया. जो कर्मचारी राजकोट एवं वड़ोदरा में आरक्षित पद रिक्त करके आए, वहां उनके आरक्षित पदों पर उनसे कनिष्ठ आरक्षित कर्मचारी प्रमोट कर दिए गए, जबकि यहां आरक्षित कर्मचारी सामान्य पदों पर पदोन्नतियां प्राप्त करते रहे, यह सिलसिला आज भी अहमदाबाद मंडल में अनवरत जारी है.

इतना ही नहीं, इसका दुरुपयोग कर चेतराम बैरवा, नरेश बंजारा सहित कई अन्य कर्मचारियों को बैक डेट इफेक्ट देकर उन्हें लाखों रुपए के एरियर्स का भी भुगतान किया गया है. बताते हैं कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है. इस तरह का नियम विरुद्ध कार्य होने से मंडल के सैकड़ों सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों में भारी हताशा और भयंकर असंतोष व्याप्त है. इस संदर्भ में जब कुछ कर्मचारियों ने आवेदन दिए, तो वर्ष 2010 में एक पोस्ट बेस्ड रोस्टर का प्रारुप तैयार किया गया, मगर तब इस पोस्ट बेस्ड रोस्टर के प्रारूप को तत्कालीन सीपीओ, पश्चिम रेलवे ने अप्रूवल नहीं दिया. फिर भी उक्त रोस्टर को लागू कर दिया गया था, जो कि आजतक चल रहा है. जब वर्ष 2003 से 2010 तक अमहदाबाद मंडल में कोई पोस्ट बेस्ड रोस्टर ही नहीं था, तो रेल प्रशासन द्वारा उक्त अवधि में दी गई सभी पदोन्नतियां अवैध मानी जानी चाहिए.

बार-बार सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों के आवेदन के पश्चात भी अहमदाबाद मंडल के टिकट जांच कर्मचारियों सहित अन्य सैकड़ों कर्मचारियों के पोस्ट बेस्ड रोस्टर में अब तक मंडल प्रशासन द्वारा कोई सुधार नहीं किया गया है. पोस्ट बेस्ड रोस्टर की सुविधा से

वंचित मंडल के सामान्य श्रेणी के कर्मचारी मुख्य कार्यालय अधीक्षक/वाणिज्य के पद पर करीब 15 वर्षों से लगातार पदस्थ ज्ञानेंद्र वर्मा को इस पूरे खेल का मास्टर माइंड मानते हैं. कर्मचारियों का कहना है कि दल-बदलू वर्मा को एक मान्यताप्राप्त श्रमिक संगठन का वरदहस्त प्राप्त है.

आरटीआई की एक अपील में अपर मंडल रेल प्रबंधक ने जबाब दिया है कि अहमदाबाद मंडल में वर्ष 2003 से सीपीओ द्वारा अप्रूव्ड पोस्ट बेस्ड रोस्टर नहीं है. संबंधित कर्मचारियों का कहना है कि आरटीआई में अपर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा दिया गया जवाब यदि सही है, तो मंडल में अब तक के प्रमोशनों में भ्रष्टाचारियों द्वारा जो धांधली की गई है, उसकी विजिलेंस अथवा किसी अन्य तटस्थ एजेंसी से जांच करवाकर सभी संबंधित जिम्मेदार और भ्रष्ट लोगों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए.

कर्मचारियों का कहना है कि अहमदाबाद मंडल के सीनियर डीपीओ को कैच अप रूल मालूम नहीं है. उनका कहना है कि गत मार्च माह में समता मंच

- **नियमों से अनभिज्ञ सीनियर डीपीओ उड़ा रहे हैं सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों का मजाक**
- **सुप्रीम कोर्ट एवं विभागीय आदेशों की अवहेलना करके दी जा रहीं वर्ग विशेष को पदोन्नतियां**

आंदोलन समिति के पदाधिकारियों की सीनियर डीपीओ के साथ बैठक हुई थी. इस बैठक में समिति के पदाधिकारियों द्वारा अहमदाबाद मंडल में कैच अप रूल लागू करने का जब निवेदन किया गया, तो सीनियर डीपीओ से उन्हें आश्चर्यजनक जबाब मिला कि ये क्या होता है? जब समिति के पदाधिकारियों ने उन्हें इसके बारे में बताया, तो हंसते हुए उन्होंने कहा कि 'आप रूल लाकर दो, मैं लागू करने का प्रयास करुंगा.'

पोस्ट बेस्ड रोस्टर रेलवे बोर्ड द्वारा पत्र सं. आरबीई 113/97 के अनुसार होना चाहिए था, जो कि अहमदाबाद मंडल में आज तक कभी लागू ही नहीं किया गया, जबकि पोस्ट बेस्ड रोस्टर का मूल आधार रेलवे बोर्ड का पत्र सं. आरबीई 113/97 है. इसे ही आधार मानकर अन्य पत्रावली के अनुसार संशोधन करना होता है. उल्लेखनीय है कि रेलवे बोर्ड द्वारा उक्त आरबीई संख्यक पत्र सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 1997 में दिए गए आदेश के परिप्रेक्ष्य में जारी किया गया था, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण पर पाबंदी लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया था. समता मंच आंदोलन समिति सभी केंद्रीय सरकारी विभागों में सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश और रेलवे बोर्ड के संदर्भित आरबीई को लागू कराने का ही लगातार प्रयास कर रही है. तथापि, कतिपय रेल अधिकारी भ्रष्टाचार के चलते अपनी मनमानी करने से कतई बाज नहीं आ रहे हैं.

कर्मचारियों का कहना है कि जब एक जिम्मेदार अधिकारी ही अपने मातहत कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ करता है और इसे बहुत हल्के से लेता है, तब आखिर न्याय के लिए वह कहां जाएं? उनका कहना है कि अहमदाबाद मंडल में किसी भी कर्मचारी का लीव एवं पीएफ अकाउंट अपडेट नहीं है. 27 मार्च 2017 को 200 टिकट जांच कर्मचारियों ने सीनियर डीपीओ को लिखित आवेदन देकर लीव बैलेंस तथा पीएफ की जानकारी मांगी थी, परंतु अब तक उन्हें कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया है. यह सिर्फ अहमदाबाद मंडल में ही नहीं, बल्कि उपरोक्त तमाम स्थिति भारतीय रेल के लगभग सभी मंडलों में भी है. परंतु इसे देखने वाला कोई इसलिए नहीं है, क्योंकि जब किसी संस्था के शीर्ष पर किसी अक्षम और अनभिज्ञ अधिकारी को बैठा दिया जाता है, तब उस संस्था की दुर्गति होनी निश्चित होती है.

अहमदाबाद मंडल में हो रही इस तरह की कई अनियमितताएं किसी बड़े कदाचार की तरफ इशारा कर रही हैं. असत्य का राज है, सामान्य वर्ग का कर्मचारी अपना वाजिब अधिकार पाने के लिए दर-दर भटक रहा है और न्याय पाने की आस में सेवानिवृत्त होता जा रहा है. परंतु जहां आरक्षित वर्ग के अधिकारी अपने वर्ग के कर्मचारियों के हितों का न सिर्फ बखूबी ध्यान रख रहे हैं, बल्कि तमाम नियमों सहित सुप्रीम कोर्ट के आदेश और विभागीय दिशा-निर्देशों का भी घोर उल्लंघन कर रहे हैं, वहीं संबंधित अधिकारी नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वही अनारक्षित/सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के सबसे बड़े शत्रु साबित हो रहे हैं.

तारीख बढ़ने से डीजी/आरपीएफ और रेल मंत्रालय दोनों की इज्जत बची

आईपीएस की प्रतिनियुक्ति पर स्टे जारी, 31 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली : जैसा कि पहले से ही अपेक्षित था, आखिर वही हुआ. मंगलवार, 16 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका. रेल मंत्रालय की मांग पर मामले में कोर्ट ने अगली तारीख 31 जुलाई 2017 दे दी है. उल्लेखनीय है कि ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन ने सुरक्षा निदेशालय, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में बतौर डीजी/आरपीएफ, आईपीएस की प्रतिनियुक्ति को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. अपेक्षा यह थी, और जैसा कि कोर्ट ने भी पिछली तारीख में आश्वासन दिया था, कि 16 मई की तारीख को कोर्ट का अंतिम निर्णय हो जाएगा, परंतु रेल मंत्रालय के रवैये के कारण उक्त तारीख को भी अंतिम फैसला नहीं हो सका.

इस संदर्भ में रेल मंत्रालय का रवैया शुरू से किसी न किसी तरह मामले को लटकाने का रहा है, क्योंकि अगले महीने जून 2017 में वर्तमान

डीजी/आरपीएफ का रिटायरमेंट होना है. रेल मंत्रालय शुरू से यह चाहता रहा है कि जिस प्रकार कानून का खुला उल्लंघन करके उसने वर्तमान डीजी/आरपीएफ की अवैध प्रतिनियुक्ति की थी, उसी प्रकार किसी भी तरह मामले को जून अंत तक खींचा जाए और वर्तमान डीजी/आरपीएफ को सुखरूप रिटायर हो जाने दिया जाए. फिलहाल उसकी यह रणनीति सफल रही है और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 31 जुलाई की अगली तारीख देकर उसकी इस रणनीति को सफल बना दिया है. अन्यथा वर्तमान डीजी/आरपीएफ को 'बड़े बेआबरू होकर निकले हम तेरे कूचे से' वाली स्थिति का सामना करना पड़ता था.

प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले में सुनवाई के दौरान ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन के विद्वान अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष इस बात का उल्लेख करते हुए कहा कि चूंकि वर्तमान डीजी/आरपीएफ जून में रिटायर हो रहे हैं, ऐसे में रेल मंत्रालय को अदालत द्वारा यह हिदायत दी जाए कि अगले डीजी की नियुक्ति या तो मामले का अंतिम निष्कर्ष आने तक न की जाए, या फिर उक्त नियुक्ति आईपीएस से नहीं की जानी चाहिए. इस पर अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर अगली तारीख में सुनवाई की जाएगी. अप्रत्यक्ष रूप से अदालत ने यह कहकर ही प्रस्तुत मामले के अंतिम निपटारे तक रेल मंत्रालय को अगले डीजी की नियुक्ति करने से स्वतः ही रोक दिया है.

सीएसटी पर गश्त ड्यूटी में कोताही करते पाए गए 7 आरपीएफ कर्मी

सीएसटी पर लाइन बंदोबस्त के दौरान एक यात्री से पैसा लेते हुए एक आरपीएफ कांस्टेबल का सीसीटीवी फुटेज.

मुंबई : मंगलवार, 23 मई को 7 आरपीएफ कर्मियों को ड्यूटी पर लापरवाही बरतने और निरीक्षण के दौरान नियत स्थान पर नहीं पाए जाने आदि अनियमितताओं के आरोप में निलंबित किया गया है. उन पर छत्रपति महाराज शिवाजी टर्मिनस (सीएसटी) पर सामान्य श्रेणी के डिब्बों में चढ़ने वाले यात्रियों से लाइन बंदोबस्त के दौरान पैसा लेकर उन्हें सीट दिलाने का भी आरोप है. इसके अलावा उन पर साफ-सुथरी वर्दी नहीं पहनने, आदेशों का पालन नहीं करने तथा ड्यूटी के दौरान अनुशासनहीनता करने के भी आरोप लगाए गए हैं. उनकी ये सभी अवैधानिक गतिविधियां सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुई हैं.

निलंबित हुए आरपीएफ कांस्टेबल्स के नाम गजेंद्र सिंह, गंगासागर सिंह, हरेंद्र कुमार सिंह, एस. के. सिंह, डी. डी. सपकाले, शिवाजी राव पाटिल और बापू काकड़े पर लाइन बंदोबस्त के दौरान यात्रियों से अमानवीय व्यवहार करने का भी आरोप है. प्राप्त जानकारी के अनुसार यह सभी आरपीएफ कांस्टेबल हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल में शामिल हुए हैं. इन्हें बंदोबस्त ड्यूटी करने का पर्याप्त अनुभव नहीं है. जानकारों का कहना है कि इन गैर-अनुभवी कांस्टेबल्स के साथ अनुभवी और वरिष्ठ आरपीएफ कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई जानी चाहिए थी. परंतु ऐसा नहीं किया जा रहा है. इसके अलावा लाइन बंदोबस्त में यात्रियों से पैसा लेकर उन्हें लाइन में आगे खड़ा करना, उनको सामान्य डिब्बों में पहले चढ़ने और इसके लिए अलग से पैसा लेने, सीट कार्निरिंग करने इत्यादि आरोप पहले भी लगते रहे हैं. जानकारों का मानना है कि इसके लिए उक्त सातों आरपीएफ कांस्टेबल्स की ड्यूटी में कोताही के लिए सीएसटी आरपीएफ पोस्ट इंचार्ज को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उसको भी निलंबित किया जाना चाहिए, जिसके मातहत उक्त तमाम अनियमितताएं हो रही हैं. इसके साथ ही उपरोक्त सभी प्रकार की गतिविधियां लगभग स्टेशनों पर हो रही हैं, परंतु पोस्ट इंचार्ज हर प्रकार की विभागीय कार्रवाई से बचे रहते हैं. इसी आरोप के चलते कल्याण स्टेशन पर लाइन बंदोबस्त से आरपीएफ कर्मियों को हटा लिया गया था.

सबको अपने सामने चाहिए जीएम और डीआरएम

सुरेश त्रिपाठी

पेज 1 का शेष... कि केंद्र की सरकार बेवकूफ है, जो देश भर में झाड़ू लगा रही है।' इस बीच बोलने का प्रयास कर रहे जिलाध्यक्ष राणाप्रताप सिंह की तरफ हाथ से थोड़ी देर चुप रहने का इशारा करते हुए डीआरएम ने कहा कि मैडम बोल रही हैं, उन्हें बोलने दीजिए. बस इतनी बात पर विधायक महोदया तो पीछे रह गईं, मगर किसी उजड्ड नेता की तरह राणाप्रताप सिंह ने गुस्से से चिल्लाते हुए डीआरएम से कहा कि 'हाथ नीचे करके बात करें और मैडम जो कह रही हैं वह सुनें, वरना बहुत बुरा होगा।'

इस पर डीआरएम ने पुनः उनकी तरफ हाथ उठाकर इशारे से उन्हें चुप रहने को कहा. इतने में राणाप्रताप सिंह अपने पैजामे से बाहर हो गए और विधायक साधना सिंह सहित बाकी लोग पीछे रह गए तथा वह डीआरएम की लगभग बेइज्जती करते हुए उन पर उबल पड़े. इसके बाद कई रेल अधिकारियों सहित आरपीएफ एवं बाकी कार्यकर्ता तथा खुद विधायक साधना सिंह, राणाप्रताप सिंह को संभालने में लग गए. इसके बाद वह लोग जिस काम के उद्देश्य से वहां आए थे, वह सब पीछे रह गया. पूरा माहौल जिलाध्यक्ष राणाप्रताप सिंह की धींगामस्ती के हवाले चला गया. हालांकि पूर्व सरकारों के समय भी रेलमंत्रियों की पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और छुटभैये नेता तथा एकाध स्थानीय विधायक भी यदाकदा रेल अधिकारियों के साथ बदसलूकी करते रहे हैं. परंतु वर्तमान में जिस तरह कुछ भाजपाई विधायकों, सांसदों और उनके तमाम कार्यकर्ताओं का दिमाग आसमान में उड़ रहा है तथा वह सार्वजनिक तौर पर जैसा अशोभनीय व्यवहार रेल अधिकारियों के साथ कर रहे हैं, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था. इसका एक उदाहरण गत दिनों पश्चिम रेलवे, मुंबई सेंट्रल मंडल की एक महिला अधिकारी के साथ उसकी सहयोगी पार्टी के स्थानीय विधायक द्वारा किए

गए बदसलूकीपूर्ण व्यवहार के रूप में पहले ही देखने को मिल चुका है, जिसका दंड उक्त निर्दोष महिला अधिकारी को अपने अपमानजनक तबादले के रूप में भुगतना पड़ा था. इसके अलावा इसकी एक-एक झांकी मुरादाबाद और झांसी मंडल में भी देखी जा चुकी है.

इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ रेल अधिकारी निकम्मे हो सकते हैं, और हैं भी, मगर इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि उनके साथ नेताओं-विधायकों सहित उनके तमाम छुटभैये कार्यकर्ता भी सार्वजनिक रूप से बदसलूकी करें. यह कृत्य न तो नेताओं-विधायकों को और न ही अधिकारियों को शोभा देता है. ऐसे कृत्यों से सर्वप्रथम नेताओं-विधायकों की ही गरिमा नष्ट होती है. जबकि उनके किसी भी तरह के व्यवहार से अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें बखूबी मालूम है कि सरकार के जाते ही यही नेता-विधायक अपनी दुम दबाकर न सिर्फ अपने दड़बे में दुबक जाएंगे, बल्कि उनके पीछे-पीछे अपनी वही दुम हिलाते हुए भी नजर आएंगे. जबकि उनका ज्यादा से ज्यादा तबादला ही करवाएंगे, इससे ज्यादा वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं. केंद्र में भाजपा की सरकार है, मगर यह सरकार भी पूर्व की तमाम सरकारों से किसी भी तरह अलग नजर नहीं आ रही है. प्रधानमंत्री द्वारा 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा' और 'भ्रष्टाचार को कदापि बर्दास्त नहीं किया जाएगा' के नारों के बावजूद चौतरफा भ्रष्टाचार का बोलबाला है तथा छोटे पैमाने पर बड़े घोटाले किए जा रहे हैं. तथाकथित ईमानदार और सदाचारी रेलमंत्री होने के बावजूद रेलवे में भ्रष्टाचार न सिर्फ चरम पर है, बल्कि सरकारी (सीवीसी) आंकड़ों के अनुसार ही इसमें रेलवे टॉप पर है. भाजपा जिस तरह की राजनीतिक शुचिता की बात करती है, उसमें वह व्यवहारिक रूप में खरी नहीं उतरती. इसमें भी न सिर्फ तमाम अपराधिक-असामाजिक तत्वों, उजड्डों, चोर-चापलूसों, दलालों तथा भ्रष्टाचारियों की भरमार है, बल्कि ऐसे कई लोगों को तमाम मंत्रालयों की सार्वजानिक समितियों में नामांकित भी किया गया है. रेल मंत्रालय की यात्री सुविधा समिति (पीएसी) और यात्री सेवा समिति (पीएससी) सहित जोनल रेलवे उपभोगकर्ता सलाहकार समितियों (जेडआरयूसीसी) में रेलवे में रहकर भारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे कुछ पूर्व रेलकर्मियों (भोपाल और मुरादाबाद मंडल इसकी बानगी हैं) के साथ ही थोक के भाव में ऐसे लोगों को नामांकित किया गया है, जिनका रेलवे से कभी कोई संबंध ही नहीं रहा.

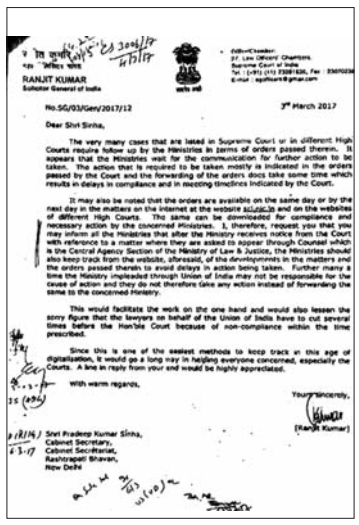

जिन पूर्व रेलकर्मियों को इन समितियों में नामांकित किया गया है, उन्हें उनके भ्रष्टाचार के कारण ही रेलवे से या तो बर्खास्त किया गया था, या फिर उन्होंने प्रशासनिक दबाव में स्वयं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी. ऐसे पूर्व रेलकर्मी, जिनकी जीएम, डीआरएम और ब्रांच अफसरों के सामने कभी खड़े रहने की भी हैसियत नहीं थी, वह आज पीएसी/पीएससी में नामांकित होकर आज उन्हीं अफसरों पर अपना रौब गांठ रहे हैं. यह विधि की विडंबना ही तो है. अतः जिस तरह स्वच्छता, विकास, गाय, लव जिहाद, धर्मांतरण, राम-जन्मभूमि, भारत-पाकिस्तान और तथाकथित राष्ट्रवाद इत्यादि मुद्दों पर राजनीतिक शुचिता की अत्यंत आवश्यकता है, वहीं पार्टी को अपने राज्य एवं जिला स्तरीय नेताओं-विधायकों और कार्यकर्ताओं की झुंडशाही पर लगाम लगाते हुए उन्हें व्यवहारिकता की तमीज सिखाने की भी जरूरत है. वरना उनका यह उन्माद पार्टी और सरकार दोनों के लिए भविष्य में बहुत नुकसानदेह साबित होने वाला है.

अदालती आदेशों की अवहेलना

सुरेश त्रिपाठी

- रे.बो./जोनल रेलों द्वारा सॉलिसिटर जनरल और कैबिनेट सेक्रेटरी के निर्देशों की अनदेखी
- मोदी सरकार द्वारा की जा रही प्रशासनिक सुधार की पहल पर अधिकारियों का पलीता
- अपनी मनमानी करने में जोनल रेलों से भी दो कदम आगे हैं रेलवे बोर्ड के अधिकारी
- क्षुब्ध अधिकारियों ने ज्ञापन देकर मांगा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलने का समय
- प. रे. ने सेवानिवृत्ति से मात्र दो दिन पहले एक प्रमोटी अधिकारी को प्रमोशन दिया
- हाई कोर्ट द्वारा अवैध घोषित जेएजी पैनल को शीघ्र क्लियर करने का कुत्सित प्रयास
- 7वें सीपीसी की सिफारिश पर गठित कमेटी की रिपोर्ट को नहीं किया जा रहा सार्वजनिक

पेज 1 का शेष... डॉक के माध्यम से तत्काल अवगत करा दिया था. परंतु रेलवे बोर्ड के साथ-साथ जोनल रेलवे भी सामंतवादी कार्य-प्रणाली का उदाहरण पेश करते हुए इन उच्च स्तरीय आदेशों को कचरे के डिब्बे में डाल कर भूल गए. इसका जीता जागता उदाहरण पश्चिम रेलवे में देखने को मिला है.

पटना हाई कोर्ट ने अपने 12 मई 2017 को दिए गए निर्णय में आईआरईएम में मौजूद इंटर-से-सीनियरिटी वाले नियम को रद्द करने के साथ-साथ रेलवे के संकेत एवं दूरसंचार विभाग (एसएंडटी) के ग्रुप 'बी' प्रमोटी अधिकारियों के वर्ष 2012-13 और 2013-14 के पैनल की वरीयता सूची को भी रद्द कर दिया है. इसकी सूचना ज्ञापनों के माध्यम से रेलवे बोर्ड सहित सभी जोनल रेलों को भी तत्काल दे दी गई थी.

तत्पश्चात रेलवे बोर्ड द्वारा सभी जोनल रेलों को 24 मई 2017 को उपरोक्त पत्र के माध्यम से अदालतों के आदेशों को अमल

में लाने का आदेश निर्गत किया गया. इसके बाद भी उक्त उच्च स्तरीय आदेशों को दरकिनार करते हुए पश्चिम रेलवे ने एसएंडटी विभाग की रद्द हो चुकी प्रमोटी अधिकारियों की वरीयता में से एक अधिकारी अभय कुमार गुप्ता (डीएसटीई/सी/वड़ोदरा) को 31 मई 2017 को रिटायरमेंट से दो दिन पहले 29 मई 2017 को जेएजी (एडहाक) प्रमोशन दे दिया. {देखें प.रे. का प्रमोशन लेटर सं. ई(जी)838/6 (जेएजी)}.

पश्चिम रेलवे का यह कृत्य रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देश के खिलाफ होने के साथ ही हाई कोर्ट, पटना के आदेश की अवहेलना भी है. इसके लिए पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक के साथ-साथ मुख्य कार्मिक अधिकारी (सीपीओ) और मुख्य संकेत एवं दूरसंचार अभियंता (सीएसटीई) भी जिम्मेदार हैं. हाई कोर्ट की इस अवमानना पर सीआरबी और सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड पर पर्सनल हियरिंग की गाज किसी भी समय गिर सकती है.

इस तरह अपनी मनमर्जी से प्रमोशन देना रेलवे में पूर्ण रूपेण व्याप्त उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार का सूचक है. रेलवे, सीआरबी सहित किसी भी जोनल महाप्रबंधक की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है कि वेलफेयर के नाम पर किसी भी अधिकारी को कभी-भी

अपनी मनमर्जी से पदोन्नति देकर रेलवे राजस्व को चूना लगाया जाए. पश्चिम रेलवे द्वारा दिया गया संदिग्ध प्रमोशन मोदी सरकार द्वारा की जा रही प्रशासनिक सुधार की पहल पर करारा प्रहार है, जो कि रेलवे के सामंतवादी अधिकारियों द्वारा लगातार किया जा रहा है.

रेलवे बोर्ड के अधिकारी भी अपनी मनमानी करने में जोनल रेलों से भी दो कदम आगे हैं. पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि आईआरईएम में मौजूद डीआईटीएस फिक्स करने वाले वर्तमान नियम को तत्काल बदलकर बिना एंटी डेटिंग देते हुए इंडेंट भेजने की तारीख के आधार पर इंटर-से-सीनियरिटी को पुनर्निर्धारित कर कोर्ट को बताया जाए. फिर भी रेलवे बोर्ड के अधिकारियों द्वारा हाई कोर्ट के उक्त दिशा-निर्देश को दरकिनार करते हुए वर्ष 2012-13 और 2013-14 के निरस्त हो चुके प्रमोटी अधिकारियों के पैनल को जेएजी में स्थाई प्रमोशन देने वाली फाइल को फटाफट क्लियर किया जा रहा है. बोर्ड के अधिकारियों द्वारा ऐसा करना पटना हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना और अदालत की अवमानना है, जिसके लिए चेयरमैन, रेलवे बोर्ड और सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड तथा मेंबर स्टाफ, रेलवे बोर्ड सीधे-सीधे जिम्मेदार हैं.

30 जून 2017 को समाप्त हो रहा है पटना हाई कोर्ट द्वारा दिया गया समय

पटना हाई कोर्ट ने कैट, पटना के निर्णय पर यथास्थिति बनाए रखते हुए रेलवे को आदेश दिया था कि आईआरईएम में यथाशीघ्र बदलाव कर इंटर-से-सीनियरिटी को पुनर्निर्धारित किया जाए. कैट, पटना के 3 मई 2016 के निर्णय पर पटना हाई कोर्ट ने 12 जुलाई 2016 को उक्त आदेश दिया था. तत्पश्चात 12 मई 2017 को पटना हाई कोर्ट द्वारा अंतिम निर्णय देते हुए यह स्टे हटा

लिया गया. अतः पटना हाई कोर्ट द्वारा रेलवे बोर्ड को दिया गया छह हफ्ते का समय 30 जून 2017 को समाप्त हो रहा है. ऐसी स्थिति में रेलवे बोर्ड को 30 जून 2017 से पहले ही आईआरईएम में यथोक्त बदलाव कर इंटर-से-सीनियरिटी को रिवाइज करके पटना हाई कोर्ट को बताना है, अन्यथा उसे अदालत की अवमानना का सामना करना होगा.

रेलवे बोर्ड द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर गठित पांच सदस्यों वाली कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा

रेलवे में व्याप्त करोड़ों-अरबों रुपए के अधिकारी पदोन्नति घोटाले के ज्ञापन पर सातवें वेतन आयोग ने संज्ञान लेते हुए रेलवे बोर्ड को आदेश दिया था कि एक कमेटी बनाकर पूरे मामले पर गंभीरतापूर्वक और सघन निरीक्षण के बाद उक्त कमेटी की रिपोर्ट आयोग को सौंपी जाए. इस पर रेलवे बोर्ड ने पांच सदस्यों वाली एक कमेटी बनाकर इस पूरे मामले पर रिपोर्ट देने को कहा. 4 अक्टूबर 2016 (पत्र सं. ईआरबी-1/2016/23/53) को गठित की गई इस कमेटी में रेलवे बोर्ड के संयुक्त सचिव/स्था.-2 की अध्यक्षता में कार्यकारी निदेशक/ई(जीसी), कार्यकारी निदेशक/ई(आईआर), कार्यकारी निदेशक/वित्त(ई) और उप कानूनी सलाहकार शामिल थे. रेलवे बोर्ड के आंतरिक सूत्रों से 'रेलवे समाचार' को पता चला है कि उक्त कमेटी ने 'पदोन्नति घोटाले' पर अपनी जांच रिपोर्ट रेलवे शेष पेज 5 पर...

सीसीएम कांफ्रेंस संपन्न, अगले वर्ष के लक्ष्य निर्धारित

नई दिल्ली : रेल भवन, नई दिल्ली के कांफ्रेंस हॉल में 25-26 मई 2017 को भारतीय रेल के सभी 16 जोनों के मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों (सीसीएम) की कांफ्रेंस संपन्न हुई. कांफ्रेंस को मेंबर ट्रैफिक, रेलवे बोर्ड मोहम्मद जमशेद सहित एडीशनल मेंबर/कमर्शियल आर. डी. शर्मा एवं बोर्ड के अन्य अधिकारियों ने भी संबोधित किया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार मेंबर ट्रैफिक मोहम्मद जमशेद ने कांफ्रेंस में उपस्थित सभी मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों को संबोधित करते हुए उनके कार्य-निष्पादन में सुधार करने को कहा. उन्होंने कहा कि जिन जोनों का वाणिज्यिक लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है, उन्हें अपने लक्ष्य को पूरा करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

कांफ्रेंस में मेंबर ट्रैफिक द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए पैसेंजर एवं फ्रेट बिजनेस योजना और इसकी नीति को निर्धारित करते हुए आय के लक्ष्य को प्राप्त करने संबंधी दिशा-निर्देश दिए गए. इस मामले में विस्तृत चर्चा करते हुए मेंबर ट्रैफिक ने खासतौर पर फ्रेट बिजनेस पर सभी सीसीएम को अपना ध्यान केंद्रित करने का आहवान किया.

रेल मंत्रालय द्वारा अपने ट्वीटर हैंडल पर इस कांफ्रेंस से संबंधित जानकारी शेयर किए जाने पर चिट्टी नामक एक ट्वीटर यूजर ने लिखा कि 'एक और चाय-बिस्किट मीटिंग हो रही है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है, तमाम ज्ञापन दिए जाने के बावजूद गाड़ी नं. 22415/16 का शेड्यूल क्यों नहीं बदला जा रहा है?'

एक अन्य ट्वीटर यूजर सर्वोत्तम तिवारी ने लिखा कि तेजस जैसी लक्झरी ट्रेनों में सामानों की चोरी रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं मुहैया कराई जा रही है? अनुराग शर्मा ने लिखा है कि कुछ मूर्ख यात्रियों द्वारा तेजस ट्रेन में की गई चोरी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने आगे लिखा है कि हम कम किराया चाहते हैं, मगर विकास नहीं चाहते. ट्वीटर यूजर रुपेश कुमार ने लिखा कि गाड़ी में सामान्य टिकट पर यात्रियों को अपर क्लास में बिना रसीद बनाए जो यात्रा करवाई जाती है, उसे रोकने पर ही रेलवे की आमदनी बढ़ेगी.

सीसीएम कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए मेंबर ट्रैफिक, रे.बो., मोहम्मद जमशेद. उनके साथ हैं एडीशनल मेंबर/कमर्शियल आर. डी. शर्मा एवं अन्य अधिकारीगण.

- मेंबर ट्रैफिक/रे.बो. मोहम्मद जमशेद ने सीसीएम कांफ्रेंस को संबोधित किया
- पैसेंजर/फ्रेट बिजनेस नीति और योजना सहित आय के तय किए गए लक्ष्य

एक अन्य ट्वीटर यूजर धीरज सिंह ने लिखा है कि वह उत्तर प्रदेश के शाहगंज एवं खालिसपुर से सैंड ढुलाई के लिए रेक चाहते हैं, मगर उन्हें इसका अप्रूवल ही नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने लिखा है कि रेलवे के नुकसान के लिए इसके कुछ अधिकारी ही जिम्मेदार हैं.

दूसरे यूजर कैलाश कुमार ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के अलग-अलग स्थानों से सैंड का रेक ले जाने की इंडेंट लगाई हुई हैं, प्रस्ताव भी दिया हुआ है, इससे रेलवे को करोड़ों रुपए का बिजनेस मिल सकता है, लेकिन संबंधित अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है. उन्होंने इससे रेलवे को करोड़ों रुपए का बिजनेस मिलने की संभाव्यता पर विचार करने का अनुरोध करते हुए लिखा है कि सैंड के लिए रेक ने दिए जाने से रेलवे को प्रतिमाह करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है.

ट्वीटर यूजर सुरेश त्रिपाठी ने लिखा कि इस तरह की कांफ्रेंस सिर्फ एक दिखावा मात्र हैं. यह बैठकें उसी तरह की हैं जैसे आरपीएफ के कुछ सीएससी अपने मातहत आरपीएफ इंस्पेक्टर्स से अपनी माहवारी वसूलने के लिए 'सुरक्षा सम्मलेन' करते हैं, मगर सुरक्षा में सुधार करने का उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है. उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि ज्यादातर जोनों में सीसीएम के पदों पर भ्रष्ट और अक्षम अधिकारी बैठे हैं, ऐसे में इस प्रकार की कांफ्रेंस का तब तक कोई औचित्य नहीं है, और न ही इससे अपेक्षित परिणाम मिलने वाले हैं, जब तक कि ऐसे भ्रष्ट एवं अक्षम अधिकारियों को हटाकर सक्षम लोगों को उनकी जगह पर नहीं लगाया जाता.

एक वरिष्ठ ट्रैफिक अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर कहा कि यह एक कड़वी सच्चाई है कि अधिकतर जोनों में और खासतौर पर कमाऊ जोनों के मुख्य परिचालन प्रबंधकों (सीओएम) एवं मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों (सीसीएम) सहित मुख्य माल यातायात प्रबंधकों (सीएफटीएम) के पदों पर कुछ ऐसे भ्रष्ट और अक्षम अधिकारी पदस्थ हैं, जो कि रेलवे के बजाय अपनी व्यक्तिगत कमाई पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. इसके परिणामस्वरूप यह बात सही है कि रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है. इस अधिकारी का भी यही मानना है कि जिन जोनों में माल यातायात अधिक है, उनमें अनुभवी एवं सक्षम ट्रैफिक अधिकारियों को सीओएम एवं सीएफटीएम के पदों पर तैनात किया जाना चाहिए.

पेज 4 का शेष... बोर्ड को काफी पहले ही सौंप दी थी, परंतु रेलवे बोर्ड उक्त जांच रिपोर्ट को आरबीएसएस और इरपोफ के दबाव में सार्वजनिक नहीं कर रहा है. लगातार उपेक्षा के शिकार हो रहे युवा ग्रुप 'ए' अधिकारियों ने बनाया बड़ा प्लान

विभिन्न अदालतों के निर्णय तथा अनेकों ज्ञापन देने के बावजूद भी रेलवे बोर्ड इस पूरे मामले पर ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है. रेलवे की आत्मा कहे जाने वाले रेलवे बोर्ड पर आरबीएसएस के अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है. सीआरबी और रेलवे बोर्ड के सदस्यों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मजाल नहीं है कि वह उनके विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही कर सकें. इन असंगत एवं असमंजसपूर्ण स्थितियों की वजह से सीधी भर्ती वाले ग्रुप 'ए' अधिकारियों की लगातार और भारी उपेक्षा हो रही है. 'रेलवे समाचार' को अपने स्रोतों से पता चला है कि 100 से अधिक युवा ग्रुप 'ए' अधिकारियों ने रेलवे में हुए इस पदोन्नति घोटाले पर संयुक्त ज्ञापन भेजकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है. उन्होंने पदोन्नति घोटाले से संबंधित सारे दस्तावेज और आरटीआई से प्राप्त समस्त जानकारी पीएमओ में जमा करा दी है.

अधिकारी पदों और पदोन्नतियों में हुए गंभीर भ्रष्टाचार के मद्देनजर ग्रुप 'ए' युवा अधिकारियों की कुछ प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं-

1. पदोन्नति घोटाले की सीबीआई से जांच कराकर दोषी अधिकारियों को अविलंब दंडित किया जाए. रेलवे बोर्ड की ऑफिस नोटिंग, (जिस पर लिखा गया है कि इरपोफ की लगातार मांग पर ऐसा किया जा रहा है), वाले पेज पर जिन-जिन अधिकारियों ने अपनी हस्ताक्षरित सहमति दी है, उन सभी अधिकारियों को अनुकरणीय दंड दिए जाने के साथ ही रेलवे राजस्व को अब तक जितना भी नुकसान हुआ है, वह सब उनसे वसूल किया जाए.
2. रेलवे बोर्ड द्वारा अदालत के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए बिना एंटी डेटिंग के निर्धारित रोटा-कोटा के अनुपात में इंटर-से-सीनियरिटी का शीघ्र पुनर्निर्धारण किया जाए तथा उन सभी संबंधित अधिकारियों पर गाज गिराई जाए, जो कि इस कोर्ट निर्देशित समस्त न्यायोचित प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं.
3. रेलवे बोर्ड सेक्रेट्रिएट सर्विस (आरबीएसएस) के अधिकारियों के कुचक्र और षड्यंत्र में फंसी सीधी भर्ती वाले ग्रुप 'ए' अधिकारियों की कैरियर प्लानिंग, प्रमोशन, सर्विस इत्यादि से संबंधित समस्त प्रक्रिया को सीधी भर्ती वाले ग्रुप 'ए' अधिकारियों के हाथों में सौंपा जाए.

उपरोक्त प्रकार के सभी मुद्दों पर ग्रुप 'ए' युवा अधिकारी लामबंद होते नजर आ रहे हैं. इस पूरे मामले में हमेशा की तरह 'रेलवे समाचार' का मानना है कि अदालती आदेशों के बाद सब कुछ दूध और पानी की तरह स्पष्ट हो गया है. इसलिए रेलवे बोर्ड को अदालत के आदेशों और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एवं कैबिनेट सेक्रेटरी के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अदालत को इसकी सूचना समय रहते दे देनी चाहिए. इसके साथ ही पांच सदस्यों वाली कमेटी की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करके अनावश्यक विवाद से बचा जाना चाहिए, अन्यथा रेलवे बोर्ड का ढुलमुल रवैया पूरे रेल मंत्रालय के लिए भारी शर्मिंदगी का कारण बन सकता है.

ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा अधिकारियों को मिलने का समय दे दिया और वह सभी बातों से अवगत हो गए, तो यह रेलवे बोर्ड के शीर्ष (सीआरबी) के गाल पर एक बहुत झन्नाटेदार तमाचा साबित होगा, क्योंकि जो नेतृत्व अपने मजबूत स्तंभों की मान-मर्यादा की देखभाल नहीं कर सकता, वह देशहित में क्या काम करेगा? इसलिए यह पूरा मामला बड़ा ही दिलचस्प होता नजर आ रहा है. किसी भी केंद्रीय मंत्रालय के इतिहास में शायद यह पहला मौका है कि जब रेल मंत्रालय के अधिकारी अपने साथ हो रहे सौतेले व्यवहार और ज्यादती को राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाने जा रहे हैं तथा पूरा रेल महकमा एक ग्रुप विशेष को लाभ देने के चक्कर में अपने अंदर फैली अराजकता को अपाहिज एवं मूकदर्शक बनकर देखता रहेगा.

टीसीएएस से कम दृश्यता में भी अधिकतम गति से गाड़ी चलाना आसान होगा –वी.के.यादव

हैदराबाद : पिछले करीब दो वर्षों से देश के विभिन्न रेल खंडों में ट्रेन कोलिजन अवाइडेंस सिस्टम (टीसीएएस) का परीक्षण किया जा रहा है. इसे ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम (एटीपीएस) के नाम से भी जाना जाता है. इसका विस्तारित परीक्षण पहली बार दक्षिण मध्य रेलवे में किया जा रहा है. देश की भिन्न परिस्थितियों में इसका परीक्षण करने के बाद अब जल्दी ही दक्षिण मध्य रेलवे में इसका परिपूर्ण परीक्षण करने की तैयारी चल रही है. इस परीक्षण के बारे में जानकारी देते हुए दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्य संकेत एवं दूरसंचार अभियंता (सीएसटीई) एम. एस. महबूब अली ने बताया कि अगले कुछ महीनों में लिंगमपल्ली-विकराबाद-वाड़ी और विकराबाद-बीदर सेक्शन, कुल 250 किमी., में इस सिस्टम का ट्रायल रन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इसके लिए करीब 40 लोकोमोटिव - 20 डीजल एवं 20 विद्युत - इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा. महबूब अली ने बताया कि इससे पहले टीसीएएस के ऑपरेशनल पार्ट की सुटेबिलिटी, इंटर-ऑपरेबिलिटी एवं सिग्नलिंग का परीक्षण किया जा चुका है. महबूब अली इससे पहले बेगमपेट-वाड़ी सेक्शन में लिंगमपल्ली-विकराबाद-तांदुर-कौकुंतला के बीच किए गए प्रारंभिक परीक्षण का हिस्सा रह चुके हैं. उन्होंने बताया कि इसके विस्तारित ट्रायल रन से पहले हमारे इंजीनियर ट्रायल रूट के टावर फाउंडेशन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों और स्थापनाओं को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं. उन्होंने बताया कि आरडीएसओ, लखनऊ द्वारा विकसित किया गया यह अत्याधुनिक सिस्टम यूरोप सहित अन्य विकसित देशों में उपलब्ध आधुनिक तकनीक की तुलना में काफी बेहतर और सस्ता है.

- एडब्ल्यूएस और एसीडी से बेहतर है 'ट्रेन कोलिजन अवाइडेंस सिस्टम'
- द. म. रे. में ट्रेन कोलिजन अवाइडेंस सिस्टम का विस्तारित ट्रायल रन

भारतीय रेल के नियंत्रण कक्षों की अपनी विशेषताएं हैं. टीसीएएस का अनुसंधान भारतीय रेल की स्थानीय आवश्यकताओं, जैसे स्टेशनों के बीच इंटरलॉकिंग और ब्रेकिंग सिस्टम आदि, को ध्यान में रखकर किया गया है, जिससे यह खतरे का सिग्नल पास करने से ट्रेन को रोके, घुमाव पर ट्रेन की गति को नियंत्रित करे, गति को सीमित करे, जब ट्रैक पर एक से अधिक ट्रेन हों तब उनकी टक्कर को रोके और लोको पायलट के सावधान न होने पर ट्रेन को नियंत्रित करे इत्यादि.

इस संबंध में दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक विनोद कुमार यादव का कहना है कि टीसीएएस से लोको पायलट को उसके केबिन में ही रियल टाइम सिग्नल डिस्प्ले के साथ ही उसे सुरक्षित दूरी बनाए रखकर चलने का संकेत भी मिलेगा. उन्होंने कहा कि 'टीसीएएस से ट्रेन ऑपरेशन में संरक्षा में वृद्धि होने के साथ ही लोको पायलट को कम दृश्यता में भी पूरे भरोसे के साथ अधिकतम गति से गाड़ी चलाने का आत्म-विश्वास भी मिलेगा.' महबूब अली का कहना है कि ट्रेन कोलिजन अवाइडेंस सिस्टम (टीसीएएस), ऑटोमैटिक वार्निंग सिस्टम (एडब्ल्यूएस) और एंटी कोलिजन डिवाइस (एसीडी) से भी कई गुना बेहतर सिस्टम है, जिनका इस्तेमाल वर्तमान में देश के कुछ रेल खंडों में किया जा रहा है. यह दोनों सिस्टम फिलहाल ट्रैक पर स्थापित किए गए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) के माध्यम से समान ट्रैक पर चल रही ट्रेनों की लोकेशन को कुछ दूरी से ट्रेस करके सीमित दायरे की अन्य ट्रेनों को उसका संकेत देते हैं. उन्होंने कहा कि पूरी भारतीय रेल में लगाए जाने से पहले किसी प्रकार की त्रुटी न रहने देने के लिए टीसीएएस की कार्य-क्षमता और उपयोगिता के अब तक 1500 से अधिक ट्रायल किए गए हैं.

CMD/IRCTC डॉ. मनोचा ने रे.बो. के आदेश को ताक पर रखा

नई दिल्ली : रेलवे बोर्ड द्वारा दो बार दिए गए लिखित आदेश के बावजूद सीएमडी/आईआरसीटीसी द्वारा अब तक जेजीएम/कैटरिंग अनिल गुप्ता को दिल्ली सहित कॉर्पोरेट कार्यालय से बाहर ट्रांसफर नहीं किया गया है. रेलवे बोर्ड द्वारा अनिल गुप्ता के ट्रांसफर की संस्तुति उनके खिलाफ सीवीसी और रेलवे बोर्ड विजिलेंस को मिली लिखित शिकायतों के आधार पर की गई थी. उल्लेखनीय है कि अनिल गुप्ता आईआरसीटीसी में जेजीएम/कैटरिंग के पद पर करीब 15 सालों से भी ज्यादा समय से पदस्थ हैं. रेलवे बोर्ड द्वारा 4 मई 2017 को जारी आदेश में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनिल गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार सहित तमाम अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें सीवीसी और रेलवे बोर्ड विजिलेंस को मिली हैं, जिनके परिप्रेक्ष्य में अनिल गुप्ता को कॉर्पोरेट कार्यालय एवं दिल्ली से बाहर अविलंब ट्रांसफर किया जाना चाहिए. तथापि, सीएमडी डॉ. ए. के. मनोचा द्वारा रेलवे बोर्ड के आदेश का पालन नहीं किया गया.

एडीशनल मेंबर, टूरिज्म एंड कैटरिंग, रेलवे बोर्ड द्वारा 4 मई को पुनः सीएमडी/आईआरसीटीसी को लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि जेजीएम/कैटरिंग/कोआर्डिनेशन अनिल गुप्ता को तुरंत प्रभाव से दिल्ली के बाहर ट्रांसफर करके इसकी जानकारी से रेलवे बोर्ड को 28 अप्रैल 2017 से पहले अवगत कराया जाए. तथापि, सीएमडी द्वारा रेलवे बोर्ड के इस आदेश का पालन करने के बजाय आश्चर्यजनक रूप से रेलवे बोर्ड को बचकाना प्रत्युत्तर देते हुए यह कहा गया कि अनिल गुप्ता की सेवाओं की जरुरत आईआरसीटीसी के कॉर्पोरेट ऑफिस में ज्यादा है. इस संबंध में आईआरसीटीसी के डायरेक्टर/कैटरिंग सर्विसेज ने 27 अप्रैल 2017 को उपरोक्त पत्र के जवाब में आश्चर्यजनक स्पष्टीकरण देते हुए रेलवे बोर्ड को लिखा गया है कि अनिल गुप्ता को कॉर्पोरेट ऑफिस में रोके जाने की जरुरत है.

इसके जवाब में रेलवे बोर्ड ने अपने 4 मई के उपरोक्त पत्र में लिखा है कि इसका मतलब यह है कि आईआरसीटीसी के लिए अनिल गुप्ता अपरिहार्य हो गए हैं और आईआरसीटीसी के पास उनका कोई पर्याय उपलब्ध नहीं है. इसके अलावा डायरेक्टर कैटरिंग सर्विसेज अपने बचकाने जस्टिफिकेशन में कुछ ऐसा दृश्य उपस्थित कर रहे हैं कि जैसे यदि अनिल गुप्ता को कॉर्पोरेट ऑफिस या दिल्ली से बाहर ट्रांसफर कर दिया गया, तो आईआरसीटीसी की समस्त गतिविधियों सहित उसका सारा कामकाज पूरी तरह से ठप हो जाएगा. इसका तात्पर्य यह है कि आईआरसीटीसी प्रबंधन सिर्फ एक अधिकारी के भरोसे चल रहा है.

डायरेक्टर/कैटरिंग सर्विसेज, आईआरसीटीसी के उक्त बचकाने जस्टिफिकेशन से इस बात का संकेत मिलता है कि आईआरसीटीसी प्रबंधन पूरी तरह फेल हो गया है, क्योंकि एक अधिकारी (अनिल गुप्ता), जिसने दिल्ली मंडल, उत्तर रेलवे में अपनी रेल सेवा की शुरुआत एक मामूली टिकट बुकिंग क्लर्क से की थी, और उसके पास कैटरिंग संबंधी कामकाज का न कोई अनुभव रहा है, और न ही कैटरिंग से संबंधित कोई डिग्री या डिप्लोमा है, न ही कैटरिंग क्षेत्र का कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण ही उसे प्राप्त है, ऐसे अधिकारी पर निर्भर होने का मतलब है कि आईआरसीटीसी प्रबंधकीय और प्रशासनिक रूप से दिवालिया हो गया है.

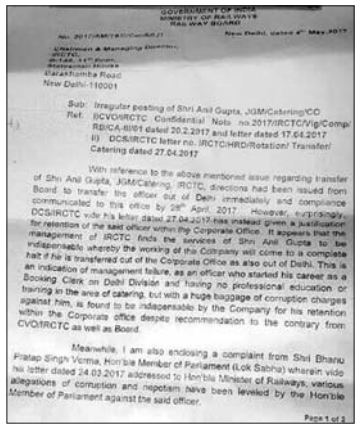

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

New Delhi, dated 4th May 2017

Chairman & Managing Director,
IRCTC,
Barakhamba Road
New Delhi-110001

Sub: Irregular posting of Shri Anil Gupta, JGM/Catering/CO
Ref: i) CVO/IRCTC Confidential Note no.2017/IRCTC/Vig/Comp/RB/CA-II/01 dated 20.2.2017 and letter dated 17.04.2017
ii) DCS/IRCTC letter no. IRCTC/HRD/Rotation/ Transfer/ Catering dated 27.04.2017

With reference to the above mentioned issue regarding transfer of Shri Anil Gupta, JGM/Catering, IRCTC, directions had been issued from Board to transfer the officer out of Delhi immediately and compliance communicated to this office by 28th April, 2017. However, surprisingly, DCS/IRCTC vide his letter dated 27.04.2017 has instead given a justification for retention of the said officer within the Corporate Office. It appears that the management of IRCTC finds the services of Shri Anil Gupta to be indispensable whereby the working of the Company will come to a complete halt if he is transferred out of the Corporate Office as also out of Delhi. This is an indication of management failure, as an officer who started his career as a Booking Clerk on Delhi Division and having no professional education or training in the area of catering, but with a huge baggage of corruption charges against him, is found to be indispensable by the Company for his retention within the Corporate office despite recommendation to the contrary from CVO/IRCTC as well as Board.

Meanwhile, I am also enclosing a complaint from Shri Bhanu Pratap Singh Verma, Hon'ble Member of Parliament (Lok Sabha) wherein vide his letter dated 24.03.2017 addressed to Hon'ble Minister of Railways, various allegations of corruption and nepotism have been leveled by the Hon'ble Member of Parliament against the said officer.

Page 1 of 2

- **अनिल गुप्ता को स्पेयर न करके रिटायरमेंट तक वसूली करना चाहते हैं डॉ. मनोचा?**
- **रेलवे बोर्ड द्वारा दो-बार लिखित आदेश के बावजूद अनिल गुप्ता को स्पेयर नहीं किया गया**
- **जेजीएम/कैटरिंग अनिल गुप्ता के विरुद्ध सीवीसी और रे.बो.विजिलेंस को मिली हैं ढ़ेरों शिकायतें**
- **सीएमडी/आईआरसीटीसी डॉ. ए. के. मनोचा के 'खास कलेक्शन एजेंट' हैं जेजीएम अनिल गुप्ता**

रेलवे बोर्ड का यह भी कहना है कि अनिल गुप्ता, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की तमाम शिकायतें हैं, और जो लंबे समय से जेजीएम/कैटरिंग के एक ही पद पर पदस्थ है, उसके बिना आईआरसीटीसी का काम नहीं चल सकता और अनिल गुप्ता उसके लिए अपरिहार्य हो गया है, उसका कोई पर्याय भी उसके पास उपलब्ध नहीं है. इसीलिए उसे कॉर्पोरेट ऑफिस में बनाए रखे जाने की जरुरत है. जबकि उक्त शिकायतों के मद्देनजर आईआरसीटीसी के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) सहित रेलवे बोर्ड विजिलेंस ने भी अनिल गुप्ता को तुरंत हटाए जाने की लिखित सिफारिश की है.

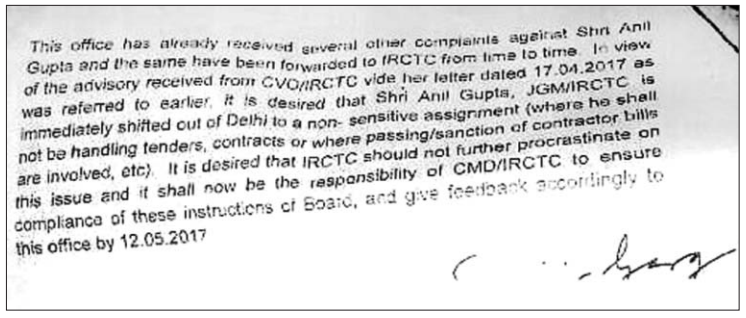

This office has already received several other complaints against Shri Anil Gupta and the same have been forwarded to IRCTC from time to time. In view of the advisory received from CVO/IRCTC vide her letter dated 17.04.2017 as was referred to earlier, it is desired that Shri Anil Gupta, JGM/IRCTC is immediately shifted out of Delhi to a non- sensitive assignment (where he shall not be handling tenders, contracts or where passing/sanction of contractor bills are involved, etc). It is desired that IRCTC should not further procrastinate on this issue and it shall now be the responsibility of CMD/IRCTC to ensure compliance of these instructions of Board, and give feedback accordingly to this office by 12.05.2017

रेलवे बोर्ड ने उपरोक्त पत्र में अनिल गुप्ता के खिलाफ सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा रेलमंत्री सुरेश प्रभु को की गई लिखित शिकायत का भी उल्लेख किया है. सांसद श्री वर्मा ने 24 मार्च 2017 को रेलमंत्री को दी गई अपनी उक्त लिखित शिकायत में अनिल गुप्ता पर आईआरसीटीसी की कैटरिंग सर्विस एवं ठेकों को दिए जाने में भारी भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद करने के कई गंभीर आरोप लगाए हैं. इसके अलावा अनिल गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित कई अन्य गंभीर शिकायतें रेलवे बोर्ड को भी मिली हैं, जिन्हें समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा आईआरसीटीसी को फॉरवर्ड किया गया है.

सीवीओ/आईआरसीटीसी द्वारा 17 अप्रैल 2017 को रेलवे बोर्ड को भेजी गई एडवाइजरी के अनुसार अनिल गुप्ता को न सिर्फ अविलंब प्रभाव से दिल्ली से बाहर ट्रांसफर किए जाने की संस्तुति की गई है, बल्कि उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार के संवेदनशील पद पर पदस्थ न किए जाने की भी बात उक्त एडवाइजरी में कही गई है. एडवाइजरी में अनिल गुप्ता को ऐसे पद से बाहर रखने को कहा गया है जहां टेंडर डीलिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल सेंक्शन/पास किए जाते हों. रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र में कहा है कि उसे उम्मीद है कि इस मुद्दे पर सीएमडी/आईआरसीटीसी द्वारा अब और ज्यादा शिथिलता या लापरवाही नहीं बरती जाएगी और अब बिना कोई देरी किए इस मामले में रेलवे बोर्ड के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा इसकी सूचना 12 मई 2017 से पहले रेलवे बोर्ड को दी जाएगी.

इतना सब होने के बावजूद सीएमडी/आईआरसीटीसी द्वारा अनिल गुप्ता को दिल्ली से बाहर ट्रांसफर किए जाने के मामले में अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है. हालांकि 'रेलवे समाचार' के विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि सीएमडी डॉ. ए. के. मनोचा के भारी दबाव अथवा आदेश पर ही डायरेक्टर/कैटरिंग सर्विसेस, आईआरसीटीसी ने 24 अप्रैल का उपरोक्त बचकाना पत्र रेलवे बोर्ड को भेजा था. सूत्रों का यह भी कहना है कि रेलवे बोर्ड को दिग्भ्रमित करने के लिए सीएमडी डॉ. मनोचा ने करीब 15 दिन पहले ही कागज पर अनिल गुप्ता का ट्रांसफर चंडीगढ़ कर दिया है. परंतु न तो इसकी सूचना उन्होंने रेलवे बोर्ड को दी है, और न ही अनिल गुप्ता को रिलीव किया गया गया है.

सूत्रों का कहना है कि सीएमडी डॉ. मनोचा जून में रिटायर होने वाले हैं, इसीलिए वह नहीं चाहते हैं कि अनिल गुप्ता के चले जाने से उनकी बकाया अवैध वसूली रिटायरमेंट से पहले अधूरी रह जाए. उनका कहना है कि रेलवे बोर्ड द्वारा इस मामले में कोई कड़ा रुख नहीं अपनाए जाने से महा-कदाचारी डॉ. मनोचा की रणनीति कामयाब होती नजर आ रही है. उपरोक्त तमाम संदर्भों में 'रेलवे समाचार' द्वारा संपर्क किए जाने पर रेलवे बोर्ड सहित आईआरसीटीसी के सीएमडी और डायरेक्टर कैटरिंग में से किसी ने भी मोबाइल पर कोई रेस्पोंस नहीं दिया. हालांकि प्रत्यक्ष सबूतों के सामने उनके पास कहने के लिए वैसे भी कुछ नहीं है.

रेलकर्मियों के साथ अब वर्दीधारी आरपीएफ कर्मी भी सुरक्षित नहीं

अस्पताल में भर्ती घायल आरपीएफ कर्मी को देखने पहुंचे आईजी/सीएससी/म.रे. अतुल श्रीवास्तव

कल्याण रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती घायल आरपीएफ कांस्टेबल सुधीर कांबले का हालचाल पूछते आईजी/सीएससी/आरपीएफ/म.रे. अतुल श्रीवास्तव (जींस और नीली शर्ट में).

मुंबई : शुक्रवार, 26 मई की देर रात अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर गस्त कर रहे आरपीएफ कांस्टेबल सुधीर कांबले पर अचानक कुछ गर्दुल्लों ने हमला करके उन्हें बुरी तरह पीट-पीटकर घायल कर दिया. प्राप्त जानकारी के अनुसार देर रात सुधीर कांबले अपनी ड्यूटी के तहत अंबरनाथ स्टेशन पर गस्त कर रहे थे. उन्होंने देखा कि स्टेशन के एक कोने में 7-8 गर्दुल्ले बैठे हुए गर्द पी रहे हैं. उन्होंने उन्हें वहां से भगाने का प्रयास किया कि तभी उन गर्दुल्लों ने अचानक उनका डंडा छीनकर उनको वहीं गिराकर लात-घूंसों और उनके ही डंडे से उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी. इसके बाद वहां से भाग गए. लहूलुहान कांस्टेबल कांबले को कुछ रेलकर्मियों ने बाद में वहां से उठाकर कल्याण के रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती कराया. जहां उन्हें सिर में कई टांके भी लगाए गए हैं और शरीर की अन्य चोटों की मरहमपट्टी की गई है.

वर्दीधारी कांस्टेबल को सरेआम पीटे जाने की इस घटना को गंभीरता से लेते हुए मध्य रेलवे आरपीएफ के महानिरीक्षक सह मुख्य सुरक्षा आयुक्त अतुल श्रीवास्तव ने रविवार, 28 मई को कल्याण रेलवे हॉस्पिटल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और कांस्टेबल कांबले का हालचाल पूछा तथा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए जाने का निर्देश भी दिया. इसके साथ ही श्री श्रीवास्तव ने मुंबई मंडल के सभी आरपीएफ जवानों को मुंबई सबर्बन स्टेशनों से समस्त गर्दुल्लों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक मुहिम चलाकर उन्हें स्टेशन परिसरों से बाहर खदेड़ने का आदेश भी दिया है. इस मौके पर श्री श्रीवास्तव के साथ सीनियर डीएससी, मुंबई मंडल सचिन भालोदे, एएससी/कल्याण श्री त्रिपाठी और आईपीएफ/सीआईबी/कल्याण संदीप ओम्बासे सहित अन्य कई आरपीएफ कर्मी भी उपस्थित थे. सीएससी/आरपीएफ/म.रे. श्री श्रीवास्तव द्वारा घायल आरपीएफ कांस्टेबल सुधीर कांबले को अस्पताल में जाकर देखे जाने से आरपीएफ कर्मियों का न सिर्फ उत्साह बढ़ा है, बल्कि उन्होंने इसके लिए श्री श्रीवास्तव की सराहना भी की है.

उल्लेखनीय है कि गत सप्ताह कल्याण क्षेत्र के मुख्य खानपान निरीक्षक संदीप तिवारी को भी कुछ अनधिकृत पोर्टरों ने विट्ठलवाड़ी स्टेशन पर कांच की टूटी बोतल मारकर तब बुरी तरह घायल कर दिया था जब वह स्टेशन पर अनधिकृत लगेज की जांच कर रहे थे. इससे पहले कोपर रोड एवं डोम्बिवली स्टेशन पर भी रेलकर्मियों पर हमला करके उन्हें घायल किया गया था. जबकि दादर, चेम्बूर सहित अन्य कई स्टेशनों पर टिकट चेकिंग स्टाफ एवं अन्य रेलकर्मियों के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दुर्व्यवहार और मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं. इससे रेलकर्मियों में ड्यूटी के दौरान असुरक्षा की भावना पैदा हुई है. रेल प्रशासन को यूनियनों सहित कैडर एसोसिएशनों द्वारा भी कई बार इस बारे में अवगत कराया गया है, परंतु रेल प्रशासन अपने रेलकर्मियों की सुरक्षा को लेकर हमेशा की भांति किंकर्तव्यविमूढ़ बना हुआ है. अब आईजी/सीएससी/आरपीएफ अतुल श्रीवास्तव के कड़े आदेश के बाद शायद इन मामलों में प्रशासन कुछ चुस्ती दिखाएगा.

पटना हाई कोर्ट का पदोन्नति घोटाले पर ऐतिहासिक निर्णय...

पेज 1 का शेष... सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने का विकल्प रेलवे बोर्ड और इरपोफ दोनों के सामने खुला हुआ है, तथापि बहस के दौरान पटना हाई कोर्ट के समक्ष जो प्रमुख मुद्दे उभरकर सामने आए, वह इस प्रकार हैं.

1. बिजनेस ऑफ एलोकेशन रूल, 1961 से रेलवे को अलग क्यों रखा गया है?
2. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अन्य विभागों पर दिया गया निर्णय रेलवे पर मान्य है, या नहीं?
3. आईआरईएम और आईआरईसी में से किसको 'वैधानिक स्थिति' की श्रेणी में रखा गया है?
4. डीओपीटी के ओएम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को रेलवे अपनाने के लिए बाध्य है, या नहीं?
5. रेलवे के पास ग्रुप 'ए' अधिकारियों की वरीयता सुनिश्चित करने संबंधी नियमों पर पूरा एकाधिकार है, या नहीं?

पटना हाई कोर्ट ने ऊपर बताए गए सभी मुद्दों पर मौजूद दस्तावेजों के गहन अध्ययन और विश्लेषण के बाद अपना स्पष्ट आदेश दिया है, जिसमें इरपोफ द्वारा दी गई दलील कि एन. आर. परमार मामला दूसरे विभाग से संबंधित है, इसलिए उस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश या इस पर डीओपीटी द्वारा जारी किया गया ओएम/नियम रेलवे में लागू नहीं किया जा सकता. इस तर्क पर हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'सुप्रीम कोर्ट का आदेश 'लॉ ऑफ लैंड' होता है, जो कि विषय विशेष पर सिद्धांत (प्रिंसिपल्स) सुनिश्चित करता है. उसको विभाग 'ए' या विभाग 'बी' से जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है.' अर्थात हाई कोर्ट का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय समान परिस्थिति में सभी विभागों पर एक समान लागू होता है.

दूसरा मुद्दा, डीओपीटी के दिशा-निर्देश भारत सरकार के दिशा-निर्देश होते हैं, जिनका पालन सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को समान रूप से करना होता है. रेलवे भी भारत सरकार का ही एक मंत्रालय है, इसलिए रेलवे को भी डीओपीटी के ओएम दि. 04.03.2014 के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करना होगा. हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आईआरईसी को वैधानिक

स्टेटस प्राप्त है, जबकि इंटर-से-सीनियरटी का नियम सिर्फ आईआरईएम में मौजूद है, जिसमें समय-समय पर सरकार की नीतियों के अनुसार बदलाव करना पड़ता है.

रेलवे में ग्रुप 'ए' के पदों पर चयन यूपीएससी द्वारा किया जाता है तथा आईआरईसी द्वारा रेलवे को ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' कर्मचारियों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है. इसलिए अदालत की नजर में रेलवे को ग्रुप 'ए' अधिकारियों पर कोई एकाधिकार प्राप्त नहीं है. जहां तक बिजनेस ऑफ एलोकेशन रूल, 1961 की बात है, तो यह नियम रेल मंत्रालय को अन्य केंद्रीय मंत्रालयों की तुलना में स्वायत्तता प्रदान करता है. परंतु सर्विस मैटर में यह रेलवे की स्वतंत्रता आईआरईसी द्वारा सीमित कर दी जाती है. अदालत का कहना है कि आईआरईसी और बिजनेस ऑफ एलोकेशन रूल, 1961 रेलवे को सिर्फ ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' के लिए स्वायत्तता देता है.

उदाहरण स्वरूप यूपीएससी और डीओपीटी के दस्तावेज बताते हैं कि 4200 और इससे अधिक की ग्रेड-पे ग्रुप 'बी' राजपत्रित अधिकारियों को अन्य मंत्रालयों में दी जाती है. जबकि रेलवे ग्रेड-पे 4200 और 4600 पर ग्रुप 'सी' कर्मचारियों की सीधी भर्ती करता है. इसलिए बिजनेस एलोकेशन रूल, 1961 और आईआरईसी के नियम ही रेलवे को यह अधिकार देते हैं कि वह अपने ग्रुप 'सी' कर्मचारियों को उच्च ग्रेड-पे का लाभ दे सके.

एन. आर. परमार मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश और डीओपीटी के ओएम दि. 04.03.2014 को अक्षरशः लागू करते ही रेलवे में मौजूद ग्रुप 'ए' अधिकारियों के वरीयता क्रम में बड़े पैमाने पर कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे.

1. सर्वप्रथम कोटा के अनुपात में वार्षिक ग्रुप 'ए' के पदों की सीधी भर्ती और प्रमोटी अधिकारियों के बीच विभाजित की जाएगी. तत्पश्चात अतिरिक्त भर्ती को आगे के वर्षों में एडजस्ट किया जाएगा. अर्थात डीओपीटी के ओएम दि. 07.02.1986 और 03.07.1986 के अनुसार यदि प्रमोटी अधिकारियों के कोटे से अधिक पदोन्नति दी गई है, तो उस वर्ष में जितने सीधी भर्ती से ग्रुप 'ए' अधिकारियों का चयन किया गया है, उस अनुपात में रखकर अतिरिक्त प्रमोटी अधिकारियों को आगे के वर्षों में एडजस्ट किया जाएगा.
2. रेलवे में सीधी भर्ती और प्रमोटी अधिकारियों के बीच 50-50 का तय अनुपात वर्ष 1997 से अपनाया गया है. परंतु रेलवे बोर्ड द्वारा वर्ष 2002 से यह अनुपात किसी अध्यादेश में बदल दिया गया. जिस पर कैट, पटना और हाई कोर्ट, पटना ने संज्ञान लेते हुए आपत्ति जताई है. अदालत ने कहा है कि रिक्रूटमेंट रूल, जिसमें रोटा-कोटा के अनुपात का प्रावधान होता है, को सिर्फ गजटेड नोटिफिकेशन के द्वारा ही बदला जा सकता है. इसलिए अदालत की नजर में रोटा-कोटा में बदलाव का निर्णय सरासर गलत और मनमाना है. अतः हाई कोर्ट, पटना के उपरोक्त निर्णय के बाद रेलवे को वर्ष 1997 से 50-50 के अनुपात में पदों को भरने की कसरत करनी पड़ेगी.
3. डीओपीटी के दि. 04.03.2014 का ऑफिस मेमोरेंडम (ओएम) बहुत ही व्यापक और परिपूर्ण है, जिसमें एंटी डेटिंग का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है. अतः हाई कोर्ट, पटना द्वारा रेलवे में मौजूद डीआईटीएस को त्रुटिपूर्ण बताना इस बात का सूचक है कि एम. सुधाकर राव मामले में एंटी डेटिंग सीनियरटी नहीं देने की बात से अदालत पूरी तरह सहमत है.
4. एन. आर. परमार मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों को लागू करते ही इंडेंट भेजने की तारीख के आधार पर वर्ष वार इंटर-से-सीनियरटी तय की जाएगी. वह भी बिना एंटी डेटिंग दिए हुए ही. ऐसा अनुमान है कि उपरोक्त नियम के लागू होते ही प्रमोटी अधिकारियों की सीनियारटी 10-12 साल तक पीछे खिसक सकती है. ऐसी ही स्थिति हाल ही में रेलवे बोर्ड सेक्रेट्रियट सर्विस (आरबीएसएस) में भी उत्पन्न हुई थी, जिसमें अदालत के हस्तक्षेप के बाद रेलवे बोर्ड द्वारा इंटर-से-सीनियरटी में बदलाव किया गया. परिणामस्वरूप आरबीएसएस के कुछ कर्मचारियों की सीनियारिटी 10-12 साल पीछे खिसक गई है.

पटना हाई कोर्ट और पटना कैट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की तैयारी में इरपोफ

आश्चर्यजनक और हास्यास्पद बात यह है कि इरपोफ, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एन. आर. परमार मामले में वर्ष 2012 में दिए गए आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाने जा रहा है. यह जानते हुए भी कि एन. आर. परमार मामले में दिए गए आदेश के विरुद्ध दायर की गई रिव्यू पीटिशन को भी सुप्रीम कोर्ट पहले ही रिजेक्ट कर चुका है. फिर भी इरपोफ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने का बचकाना निर्णय लिया गया है.

'रेलवे समाचार' का उद्देश्य हमेशा स्वतंत्र रूप से सच्चाई प्रस्तुत करने का रहा है. इसलिए इस पूरे प्रसंग पर सभी पाठकों को वस्तुस्थिति से अवगत कराने की जिम्मेदारी 'रेलवे समाचार' ने पूरी ईमानदारी से निभाई है.

इरपोफ के सुप्रीम कोर्ट में जाने के पीछे दो कारण हो सकते हैं. पहला यह कि इरपोफ के दिग्भ्रमित एवं अपरिपक्व नेतृत्व को अब भी इस बात का भ्रम है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने निर्णय और रिव्यू पिटीशन को रिजेक्ट करने के बाद भी उसकी खोखली दलीलों पर ध्यान देगा तथा इरपोफ की मांग पर अपने पुराने निर्णय, जिसको रेलवे को छोड़कर भारत सरकार के सभी मंत्रालय अपना चुके हैं, को निरस्त कर देगा. दूसरा यह कि इरपोफ का नेतृत्व अपनी झूठी साख बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि उसे प्रमोटी अधिकारियों को भय और अंतिम आशा की किरण दिखाकर न सिर्फ उनका आर्थिक शोषण करते रहना है, बल्कि उन्हें सच्चाई से अवगत न कराकर गुमराह करके अपने साथ बनाए रखना भी है.

अंत में पदोन्नति घोटाले और विभिन्न अदालतों के निर्णय पर 'रेलवे समाचार' का यही मानना है कि सीआरबी को अदालत की अवमानना से बचने और पूरे रेलवे महकमे को जलील होने से बचाने का एकमात्र उपाय यही है कि जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट के आदेश और डीओपीटी के नए नियम को लागू करके तथा इंटर-से-सीनियरटी को रिवाइज करके अदालत को अवगत करा दिया जाए. इरपोफ के बारे में कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि उसकी मिलीभगत से हुए इस महाघोटाले का रहस्य अब सार्वजनिक हो चुका है. इरपोफ की इस जोड़तोड़ से आनेवाली प्रमोटी पीढ़ियों का भविष्य गर्त में जाता नजर आ रहा है. इसलिए इरपोफ को पटना हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में पुनः मुंह की खाने के बजाय रेलवे बोर्ड के साथ बैठकर कुछ ऐसा विचार करना चाहिए कि जिससे प्रमोटी अधिकारियों का कम से कम नुकसान हो. क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट से पुनः हार मिलती है, जो कि मिलनी तय है, तो इरपोफ के लिए समझौते के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, जिससे प्रमोटी अधिकारियों की स्थिति इतनी ज्यादा भयावह हो जाएगी कि जिसका अंदाजा फिलहाल नहीं लगाया जा सकता है.

भारतीय रेल में खूब धड़ल्ले से चल रहा 'कंसल्टेंसी' का खेल...

पेज 1 का शेष... कराने वाला जोरू का गुलाम एक पूर्व सीआरबी ही था, जो कि कथित तौर पर उनके जरिए आज भी रेलवे बोर्ड सहित कई अन्य जोनल रेलों में अपना 'धंधा' चला रहा है. उल्लेखनीय है कि बहु-प्रचारित 'रेल विकास शिविर' भी हनीश यादव के ही दिमाग की उपज थी. यह भी सर्वज्ञात है कि इस विकास शिविर का परिणाम शून्य रहा था और रेलवे को इसका कोई लाभ नहीं मिला, जबकि इसके लिए रेलवे ने करोड़ों रुपए फूंक डाले. अब यह भी सर्वज्ञात है कि इस विकास शिविर के आयोजन की सारी जिम्मेदारी 'मैकेंजी' को ही सौंपी गई थी, जिसने तमाम वरिष्ठ रेल अधिकारियों से अपने द्वारा लिखे गए सुझाव मंच से रेलमंत्री के सामने पढ़वाए थे.

बहरहाल, रेलवे बोर्ड के हमारे विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि उपरोक्त कंसल्टेंसी के लिए 28 करोड़ रुपए पास किए जाने की फाइल रेलवे बोर्ड में एक टेबल से दूसरी टेबल पर दौड़ाई जा रही है, परंतु किसी अधिकारी की यह हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उक्त फाइल को रेलमंत्री की टेबल तक पहुंचा सके. इसका कारण सूत्रों ने यह बताया है कि यह सबको पता है कि रेलमंत्री ऐसी किसी फाइल को हाथ नहीं लगाएंगे. सूत्रों का कहना है कि 15 करोड़ रुपए से ऊपर की किसी फाइल को साइन करने का अधिकार दोनों रेल राज्यमंत्रियों के पास नहीं है. जबकि रेलमंत्री ने स्वयं को ऐसे तमाम कार्यों से विलग कर रखा है. तथापि उनके मातहत करोड़ों रुपए के रेल राजस्व की यह जो बंदरबांट हो रही है, वह भी उनसे छिपी हुई नहीं है.

सूत्रों का कहना है कि चूंकि रेलमंत्री फाइल को हाथ नहीं लगाएंगे, इसलिए अब इसका तोड़ यह निकाला जा रहा है कि उक्त 28 करोड़ रुपए की राशि को दो-तीन भागों में कुछ इस तरह बांट दिया जाए, कि जिससे वह संबंधित अधिकारियों के ही अधिकार क्षेत्र में आ जाए. इससे एक तरफ मंत्री का भी झंझट नहीं रह जाएगा, तो दूसरी तरफ काम भी आसान हो जाएगा. सूत्रों का यह भी कहना है कि इस मामले में अब तक यह निर्णय नहीं हो पा रहा है कि उक्त राशि को किस तरह से विभाजित किया जाए कि काम आसान हो जाए. बहरहाल एमआर सेल के दबाव में इस मामले पर संबंधित अधिकारी कड़ी माथापच्ची करने में लगे हुए हैं.

इस मामले में जानकारों का कहना है कि यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए वैसे तो किसी कंसल्टेंसी की कोई जरूरत ही नहीं है, यदि यह जरूरत है तो इसे किसी मान्यताप्राप्त यूनिवर्सिटी को सौंपा जा सकता है. उनका यह भी कहना है कि यह काम शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है और यह उसे ही दिया जाना चाहिए जो कि इस क्षेत्र का विशेषज्ञ हो. ऐसी किसी निजी कंसल्टेंसी फर्म या किसी रेलवे पीएसयू, जिसका शिक्षा जगत से कोई संबंध नहीं रहा, को यह काम सौंपा जाना निहायत बेअक्लमंदी होगी. उनका यह कहना है कि यह काम रेलवे के ही लोग करने में पर्याप्त रूप से सक्षम हैं. उनका इशारा वास्तव में रेलवे स्कूलों के प्रधानाचार्यों की तरफ था. उन्होंने यह भी कहा कि यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि एक तरफ रेलवे अपने स्कूलों को एक-एक करके बंद करता जा रहा है, तो दूसरी तरफ 'रेलवे यूनिवर्सिटी' खोलने जा रहा है.

उधर नेशनल रेल डेवलपमेंट का प्लान तैयार करके पूर्व मेंबर इंजीनियरिंग वी. के. गुप्ता ने रेलवे बोर्ड को सौंप दिया है. इस बहाने श्री गुप्ता न सिर्फ एक साल तक एस. पी. मार्ग, नई दिल्ली स्थित रेलवे के आलीशान आवास का लुत्फ उठाते रहे, बल्कि इस बहाने मिलने वाले मोबदले की बदौलत मुफ्त की भी खाते रहे. जानकारों को इस बात का भी आश्चर्य है कि जिस आदमी ने रेल सेवा में रहते हुए कभी तिनका भर भी काम नहीं किया, वह सेवानिवृत्ति के बाद खुद काम कैसे करने लगा? प्राप्त जानकारी के अनुसार प्लान सौंपते ही श्री गुप्ता को अब रेलवे आवास खाली करने का नोटिस भी रेलवे बोर्ड की तरफ से थमा दिया गया है. बहरहाल, खबर यह नहीं है, बल्कि खबर यह है कि श्री गुप्ता ने नेशनल रेल डेवलपमेंट का जो प्लान सौंपा है, उसे रेलवे बोर्ड ने पुनरीक्षण के लिए अब राइट्स लि. को सौंप दिया है.

जानकारों का कहना है कि यदि यही किया जाना था और राइट्स को ही उक्त प्लान देखना था, तो उसे ही इसकी कंसल्टेंसी भी सौंपी जानी चाहिए थी. इसके लिए श्री गुप्ता को एक साल तक रेलवे का अतिथि बनाकर रखने और उसके लिए उन्हें अलग से भुगतान करने की क्या जरूरत थी? उनका कहना है कि रेलवे में इस तरह की फर्जी कंसल्टेंसी का खेल खूब चल रहा है. इसके जरिए सत्ता के दलालों और मंत्रियों के चापलूसों का भरण-पोषण किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जहां तक हनीश यादव की बात है, तो वह (हनीश यादव) यह जानते हैं कि लंबे समय तक अपने पद पर बने नहीं रहेंगे. इसलिए वह मैकेंजी जैसी अलग-अलग फर्मों को ऐसी फालतू कंसल्टेंसी मुहैया करा रहे हैं कि जिससे रेल भवन से निकलने के बाद वही फर्में उन्हें काम मुहैया कराएंगी.

RNI Regd. No. MAHHIN/2002/10618 प्रत्येक महीने की 1ली और 16वीं तारीख एवं दिन को प्रकाशित ■ POST Regd. No. THC/135/2015-2017

DPC के बाद जीएम पैनल 2017-18 DOPT को भेजा गया

रतनलाल जाटव को ओपन लाइन के लिए नहीं माना गया फिट

सीआरबी को पसंद नहीं है परिणामी पदों पर कोई काबिल अधिकारी

नई दिल्ली : जीएम पैनल 2017-18 के लिए योग्य एवं सक्षम अधिकारियों की डीपीसी करने के बाद पैनल को डीओपीटी भेज दिया गया है. करीब पंद्रह दिन पहले हुई डीपीसी में बतौर मेंबर चेयरमैन, रेलवे बोर्ड (सीआरबी), मेंबर स्टाफ (एमएस) और सेक्रेटरी/डीओपीटी शामिल थे. रेलवे बोर्ड के विश्वसनीय सूत्रों से 'रेलवे समाचार' को प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार पश्चिम रेलवे के मुख्य विद्युत अभियंता (सीईई) रतनलाल जाटव को डीपीसी में सीआरबी और एमएस द्वारा ओपन लाइन जीएम के लिए फिट नहीं माना गया गया है. जबकि सूत्रों का कहना है कि डीपीसी के तीसरे सदस्य सेक्रेटरी/डीओपीटी की राय सीआरबी एवं एमएस से अलग रतनलाल जाटव के पक्ष में थी.

सूत्रों का कहना है कि सीआरबी और एमएस ने रतनलाल जाटव को जानबूझकर इसलिए ओपन लाइन फिट नहीं दिया है, क्योंकि यदि उन्हें ओपन लाइन फिट दे दिया जाता, तो फिर उनके नीचे राजीव कुमार ओपन लाइन जीएम नहीं बन पाते. सूत्रों ने बताया कि सीआरबी की राय में एमएस ने अपनी राय इसलिए मिला दी, क्योंकि लगभग हर मामले में ऐसा करना एमएस की एक मजबूरी बन गई है. उन्होंने बताया कि डीपीसी ने यदि किसी अधिकारी को ओपन लाइन के लिए फिट नहीं माना है, तो उसे फिर किसी भी मंच पर ज्ञापन देकर ओपन लाइन के लिए फिट नहीं किया जा सकता है. यानि डीपीसी ही इसकी फाइनल अथॉरिटी है. ऐसे में रतनलाल जाटव जीएम तो बन जाएंगे, मगर साइड लाइन में, यानि किसी प्रोडक्शन यूनिट में उन्हें बैठाया जाएगा. वैसे भी वर्तमान में इलेक्ट्रिकल कैडर के 9 जीएम बन चुके हैं. ऐसे में इस साल अब इलेक्ट्रिकल से केवल एक ही जीएम और बन पाएगा.

9 मई को मेट्रो रेलवे, कोलकाता में विश्वेश चौबे, पूर्व रेलवे, कोलकाता में हरिंद्र राव, पश्चिम रेलवे, मुंबई में अनिल के. गुप्ता और आरडीएसओ, लखनऊ में मगरूब हुसैन को महाप्रबंधक बनाए जाने के बाद भी महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, डीएलडब्ल्यू, वाराणसी और उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर के पद खाली रह गए. हालांकि इन पदों की रिक्तियां चालू वित्त वर्ष में हुई हैं. इसके अलावा जीएम/आरसीएफ, कपुरथला का पद 31 मई को खाली हो चुका है, जबकि इस महीने 30 जून को जीएम/पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे/निर्माण का पद खाली होने जा रहा है. इस प्रकार महाप्रबंधक के पांच पद पुनः खाली हैं. तथापि अब तक जीएम पैनल फाइनल नहीं हुआ है. मगर सीआरबी द्वारा नियमों का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है. जब रेलमंत्री ने सार्वजनिक रूप से यह घोषित कर दिया था कि अब से किसी जीएम की लेटरल शिफ्टिंग नहीं की जाएगी, तब मेट्रो रेलवे, कोलकाता से एम. सी. चौहान को उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद में क्यों, कैसे और किस आधार पर शिफ्ट किया गया? क्या यह भ्रष्टाचार अथवा कदाचार का मामला नहीं है?

इसके अलावा मगरूब हुसैन और विश्वेश चौबे से एम. सी. चौहान किस तरह ज्यादा काबिल हैं? ज्ञातव्य है कि पहले मगरूब हुसैन ने और बाद में विश्वेश चौबे ने मेट्रो रेलवे में जाने से इसीलिए मना किया था. तथापि विश्वेश चौबे को अंततः मेट्रो रेलवे में ही जाना पड़ा, क्योंकि 'स्टोरकीपर' को कोई काबिल अधिकारी किसी सही जगह पर नहीं चाहिए. जानकारों का भी यही कहना है कि मगरूब हुसैन और विश्वेश चौबे की तुलना में एम. सी. चौहान को काबिल नहीं माना जा सकता है. स्थिति यह है कि 'स्टोरकीपर' की मनमानी के चलते आज पूरी भारतीय रेल में लगभग प्रत्येक कमाऊ और मौके की पोस्ट पर नालायक, नाकाबिल और अक्षम अधिकारी पदस्थ हैं. इन अक्षम अधिकारियों द्वारा रेलहित में कम, व्यक्तिगत हित में ज्यादा काम करने के परिणामस्वरूप ही भारतीय रेल को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं.

महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे के साथ स्थानीय विधायक ने की जन-समस्याओं पर चर्चा

गोरखपुर ब्यूरो : महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे सत्यप्रकाश त्रिवेदी के साथ स्थानीय विधायक राधा मोहनदास अग्रवाल ने रेलवे से संबंधित जन-समस्याओं को लेकर 31 मई को बैठक की. विधायक राधा मोहनदास अग्रवाल ने महाप्रबंधक से धर्मशाला पुल-तरंग चौराहे के बीच पुलिया सं. 179-180 के बीच रेलवे लाइन के उत्तर तरफ नाला बनवाने के संबंध में नगर आयुक्त, गोरखपुर द्वारा लिखे गए पत्र के संदर्भ में कार्यवाही की जानकारी चाही, जिसके परिप्रेक्ष्य में उन्हें सूचित किया गया कि संयुक्त सर्वे, रेलवे निर्माण संगठन, प्रमुख मुख्य इंजीनियर, नगर निगम के अधिकारियों एवं विधायक के साथ किया जाएगा. तरंग एवं सूर्यकुंड ओवरब्रिज के नीचे अंडरब्रिज बनाए जाने के संदर्भ में बताया गया कि अन्य विकल्पों को भी तलाशा जाए. कौवाबाग अंडरब्रिज के स्वीकृत कार्य की प्रगति के बारे में यह स्पष्ट किया गया कि दो बार निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, परंतु कोई ऑफर न मिलने के कारण पुनः निविदा आमंत्रित की जा रही है. नंदानगर रेलवे क्रासिंग पर अंडरब्रिज के संबंध में यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रस्ताव अनुमोदन हेतु उत्तर प्रदेश शासन को भेजा जा चुका है. रेलवे की आरपीएफ कालोनी से कैंट स्टेशन को जाने वाले फुट ओवर ब्रिज को चौड़ा एवं मोटरेवुल बनाए जाने के संबंध में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा इस आशय का पत्र प्राप्त होने पर प्रस्ताव की समीक्षा की जाएगी और संभावनाओं पर विचार किया जाएगा तथा फिजिबिलिटी चेक की जाएगी. कूड़ाघाट में गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन पर दक्षिण तरफ से नये प्रवेश द्वार के प्रावधान के संबंध में सूचित किया गया कि इससे संबंधित विस्तृत प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा जा चुका है तथा भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही रक्षा मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय के बीच की जा रही है. झरना टोला रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी पुल के निर्माण के संबंध में स्पष्ट किया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के अनुसार समपार के एप्रोच तक सड़क उपरिगामी पुल (आरओबी) का निर्माण संभव नहीं है तथा यह कार्य स्वीकृत भी नहीं है.

रेलवे सरकुलर रोड पर पीएसी पुल से मैत्रीपुरम-मोड़ तक सड़क के उत्तर तरफ दो फीट की दीवार बनाए जाने के संदर्भ में बताया गया कि इसका अनुरक्षण पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है. अतः यह कार्य भी पीडब्ल्यूडी द्वारा ही किया जा सकता है. रेलवे द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे दिया जाएगा. चारफाटक ओवरब्रिज के साथ फुट ओवर ब्रिज न होने के संदर्भ में कहा गया कि एक माह में यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा. गोरखपुर से होकर राजधानी एक्सप्रेस चलाने एवं राप्तीसागर एक्सप्रेस में फर्स्ट एसी कोच लगाए जाने के संबंध में रेलवे द्वारा बताया गया कि इनसे संबंधित प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा.

समापक भुगतान के साथ सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की विदाई

गोरखपुर ब्यूरो : पूर्वोत्तर रेलवे, कार्मिक विभाग द्वारा आयोजित समारोह में मुख्य कार्मिक अधिकारी एल. बी. राय ने बुधवार, 31 मई को सेवानिवृत्त हुए लालता राम, उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/यूटीएस, महमूद अंसारी, सहायक सामग्री प्रबंधक/डिपो, महाराम, प्रधानाचार्य, पद्धति प्रशिक्षण विद्यालय, कल्याण सिंह सोनाल, एडीशनल रजिस्ट्रार, रेल दावा अधिकरण एवं डी. पी. पांडेय, स्टाफ आफिसर को तथा उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/अराजपत्रित ए. के. सिंह द्वारा सेवानिवृत्त हुए 33 अन्य अराजपत्रित रेलकर्मियों को समापक राशि का प्रपत्र, मेडल एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया. इसके अतिरिक्त एस. एस. महतो, उप मुख्य वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी एवं पी. एन. चटर्जी, वरिष्ठ लेखाधिकारी को भी समापक राशि का प्रपत्र, मेडल एवं सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया. डिप्टी सीपीओ/एनजी ए. के. सिंह ने सेवानिवृत्त हुए रेलकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी अपनी दिनचर्या नियमित रखते हुए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे. उन्होंने सेवानिवृत्त हुए रेलकर्मियों के दीर्घायु होने की कामना की. इस अवसर पर सहायक कार्मिक अधिकारी/समापक आनंद कुमार, सहायक वित्त सलाहकार एवं लेखाधिकारी संजय मिश्र तथा कार्मिक विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे.

समपार जागरूकता सप्ताह

गांववासियों को किया गया जागरूक

गोरखपुर ब्यूरो : पूर्वोत्तर रेलवे पर समपार जागरूकता सप्ताह के आयोजन के क्रम में 31 मई पूर्वोत्तर रेलवे संरक्षा संगठन द्वारा मुख्य संरक्षा अधिकारी एन. के. अम्बिकेश के निर्देश पर गोरखपुर कैंट स्टेशन पर लगभग 500 यात्रियों के मध्य मानवरहित समपारों को सुरक्षित पार करने के लिए जन-जागरण अभियान चलाया गया, जिसमें भारत स्काउट एवं गाइड्स के साथ संरक्षा संगठन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया. गोरखपुर जिले के बरवार खुर्द गांव में ग्राम पंचायत सभा/शिक्षा अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बरवार खुर्द गांव के ग्राम प्रधान सहित गांव के वयस्क, बच्चों-महिलाओं सहित लगभग 150 लोगों ने भाग लिया. ग्राम वासियों को संरक्षा संगठन द्वारा मानवरहित समपार को सुरक्षित पार करने के संबंध में जागरूक किया गया. नौसढ़ स्थित पेट्रोल पम्प पर संरक्षा संगठन के कर्मचारियों द्वारा मोटर साइकिल चालक, ट्रैक्टर, ट्रक, कार चालकों समेत कुल 200 लोगों को वैधानिक प्रावधानों के साथ सजग रहकर समपारों को सुरक्षित पार करने के संबंध में जागरूक किया गया. उपरोक्त कार्यक्रमों में समपार के प्रति सचेत करने वाले छपे संदेश के 200 पम्फलेट, 500 कैलेंडर, 500 बुक कवर, 200 थैले, 200 एटीएम कार्ड कवर एवं 2000 डायरी का वितरण किया गया.

आजीवन सदस्यता 3000 रु.
संरक्षक सदस्यता 5000 रु.
कृपया चेक/डीडी 'सोहम पब्लिकेशन' के नाम निम्नलिखित संपादकीय कार्यालय के पते पर भेजें.

परिपूर्ण रेलवे समाचार
रेलवे का दोस्त, यात्रियों का साथी

संपादकीय कार्यालय
रूम नं. 105, डॉक्टर हाउस,
पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास,
कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे (महाराष्ट्र)
मोबाइल नं. 09869256875

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक सुरेश त्रिपाठी द्वारा सोहम पब्लिकेशन, 105, डॉक्टर हाउस, पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास, कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे (महाराष्ट्र) से मुद्रित एवं 105, डॉक्टर हाउस, पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास, कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे (महाराष्ट्र) से प्रकाशित.

संपादक - सुरेश त्रिपाठी

● इलाहाबाद : उमेश शर्मा ☎ 094155 08625
● गोरखपुर : विजय शंकर ☎ 09935266331
● भुसावल : शेख सत्तार ☎ 09370615244
● रतलाम : मुकेश सिंह ☎ 09427484069
● वड़ोदरा : विजय नायर ☎ 09824016464
● पंजाब ब्यूरो : अमित जेतली ☎ 07009746163

कानूनी सलाहकार
* एड. एम. एस. ठक्कर, कल्याण,
* एड. प्रकाश ताहिलरामानी, मुंबई,
* एड. राजेश मुधोलकर, ठाणे,
* एड. कमलेश त्रिपाठी, रायबरेली,
* एड. बी. एच. वास्वानी, भोपाल,
* एड. एम. पी. दीक्षित, पटना.

किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद का न्यायिक क्षेत्र कल्याण होगा.

RNI Regd. No. MAHHIN/2002/10618
POST Regd. No. Tech/47-1542/MBI/2015-2017